



बिहार सरकार
वित्त विभाग



हरित बजट

2023-24





हरित बजट

2023-24

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्राक्कथन

जिस प्रकार दुनिया भर में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का संकट गहरा रहा है, सतत वित्त और हरित निवेश पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। पिछले वर्ष के जलवायु परिवर्तन सम्मलेन (COP27) को विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु समर्पित निधि स्थापित करने से संबंधित सामूहिक निर्णय वर्ष के रूप में चिह्नित किया गया।¹ विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ रहे गैर-अनुपातिक कुप्रभावों की पहचान करते हुए इन चुनौतियों से निपटने हेतु वैश्विक सहयोग की आवश्यकता महसूस की गई। जैव विविधता पर मॉन्ट्रियल सम्मेलन (COP15) में भी वर्ष 2030 तक जैव विविधता को हुई क्षति को पुनर्स्थापित करने हेतु एक विशेष पैकेज के रूप में सलाना 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने पर जोर दिया गया है।² इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन ने हरित वर्गीकरण को सुसंगत बनाने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने एवं निर्धारित समय-सीमा में शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने हेतु हरित बजट टैगिंग संबंधी सरकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान किया है।³ COP27 तथा COP15 दोनों में की गई प्रतिबद्धता ने सामाजिक-आर्थिक विकास पर जलवायु परिवर्तन के उभरते जोखिमों के साथ शमन और अनुकूलन कार्रवाई को सुव्यवस्थित करने के लिए वित्तीय प्रावधानों और टैगिंग की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला है। फिर भी राज्य सरकार के राजकोषीय दायरे के अन्तर्गत उपबंधित राशि तथा वांछित पर्यावरण एवं जलवायु क्रियाओं के निष्पादन की अपनी एक सीमा है। इस अंतर (Gap) की भरपाई हेतु निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

राज्य का यह चौथा हरित बजट, राज्य सरकार के राजकोषीय निर्णय में पर्यावरणीय स्थिरता को शामिल करने की दिशा में एक सक्रिय कदम है। इस दृष्टिकोण ने न केवल राजकोषीय दायरे के तहत पर्यावरणीय स्थिरता के प्रावधान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत दिया है, बल्कि इसने क्षेत्रीय कार्यक्रम और बजटीय योजना को भी प्रोत्साहित किया है।

बिहार में हरित बजट को मुख्यधारा में लाकर, सरकार ने निजी क्षेत्र के निवेशकों और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के लिए अपने निवेश को राज्य में निम्न-कार्बन विकास मार्ग प्राप्त करने की दिशा में उन्मुख करने का एक अवसर बनाया है। इस पहल की सफलता सभी हितधारकों, विशेष रूप से सरकारी विभागों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र की सामूहिक और समन्वित कार्रवाइयों पर निर्भर करती है ताकि राज्य सरकार द्वारा निम्न-कार्बन उत्सर्जन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

1 संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रेस विज्ञप्ति, 20 नवंबर 2022 : <https://unfccc.int/news/cop27-reaches-breakthrough-agreement-on-new-loss-and-damage-fund-for-vulnerable-countries>

2 आधिकारिक सीबीडी प्रेस विज्ञप्ति-19 दिसंबर 2022, मॉन्ट्रियल: <https://www.cbd.int/article/cop15-cbd-press-release-final-19dec2022>

3 हरित परिवर्तन के लिए सतत वित्त को अनलॉक करना 2023 में जी20 की अध्यक्षता के लिए भारत की प्राथमिकताएं, प्राची अग्रवाल: <https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2022/08/Green-Transition.pdf>

बिहार हरित बजट

परिचय

हाल ही में भारत ने अपने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)⁴ में देश के नए राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों (NDCs)⁵ की पेशकश की है। देश वर्ष 2030 तक अपना दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन आर्थिक संकल्प की ओर अग्रसर हो रहा है। देश के लक्ष्यों के अनुरूप वर्ष 2021 में बिहार सरकार ने भी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के साथ मिलकर निम्न कार्बन विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समर्थन किया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 से बिहार सरकार हरित बजट पेश कर रही है। हरित बजट दस्तावेज में पर्यावरण संबंधी नीतियों, प्रक्रियाओं एवं इनके क्रियान्वयन में सततता को विशेष स्थान दिया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा स्थानीय पर्यावरणीय लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं के साथ बजटीय ट्रैकिंग और टैगिंग को संरेखित करना है। क्षेत्रीय पर्यावरण को समझने तथा हरित आवंटन का विश्लेषण करने हेतु इसे एक टूलकिट के रूप में भी देखा जा सकता है।

सतत विकास में हरित बजटिंग की भूमिका को विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है। इसे पर्यावरणीय स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका माना जा सकता है। उदाहरणस्वरूप, SDG 17 का लक्ष्य 17.14 स्पष्ट रूप से सतत विकास के लिए नीतिगत सामंजस्य बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देता है।⁶ हरित बजट टैगिंग सतत विकास के परिणामों को मुख्यधारा में लाने में भी महत्वपूर्ण हो सकती है, जैसे की हरित आर्थिक निवेश के लिए कम ब्याज दरों को प्रोत्साहित करना एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बजटीय उपबंध करना। यह क्षेत्रीय स्तर पर आवंटन और व्यय के साथ प्रणालीगत अक्षमताओं, क्षेत्रीय विषमताओं और अन्य चुनौतियों के संबंध में ध्यान आकृष्ट करता है।

राज्य सरकार के पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हरित बजट टैगिंग, सरकारी नीतियों और योजनाओं का आकलन तथा क्रियान्वयन हेतु एक कार्यप्रणाली प्रस्तुत करता है। सरकार के SDG प्रदर्शन तथा भविष्य के नीतिगत आयामों के आधार पर वित्त विभाग द्वारा हरित बजट टैगिंग हेतु 8 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों एवं 19 हितधारक सरकारी विभागों की पहचान की गई है। यह मानना है कि हरित बजट को जल-जीवन-हरियाली मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप, क्षेत्रीय क्रियाकलापों की निगरानी तथा पर्यावरणीय चेतना के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचे के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

4 संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) संबंधी संधि

5 राष्ट्रीय निर्धारित योगदान :

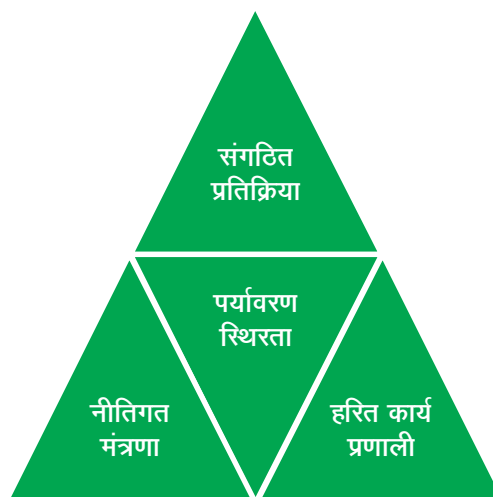
<https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/202208/India%20Updated%20First%20Nationally%20Determined%20Contrib.pdf>

6 एसडीजी लक्ष्य 17 सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना:

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/>

दृष्टिकोण— हरित बजट टैगिंग

हरित बजट की कार्यात्मक रूपरेखा को यथासंभव सभी स्तरों पर सरल रखा गया है। हरित बजट को एक व्यापक टैगिंग अभ्यास के रूप में तैयार किया गया है। हरित बजट टैगिंग का प्रारंभिक कार्य हितधारक विभाग के बजट और योजना अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ऐसे बजट दस्तावेजों की तैयारी के लिए हितधारक विभागों द्वारा नीति निर्धारण के लिए परामर्श, टैगिंग पद्धति का पालन और हरित कार्यों के लिए आवश्यक ध्यान देना उपयोगी रहता है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर वित्तीय परिणामों की प्राप्ति के लिए निगरानी ढांचे को मजबूत करने में सहायता मिलती है। राज्य की पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हरित बजट टैगिंग और ट्रैकिंग के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख चित्र 1 में दिखाया गया है।

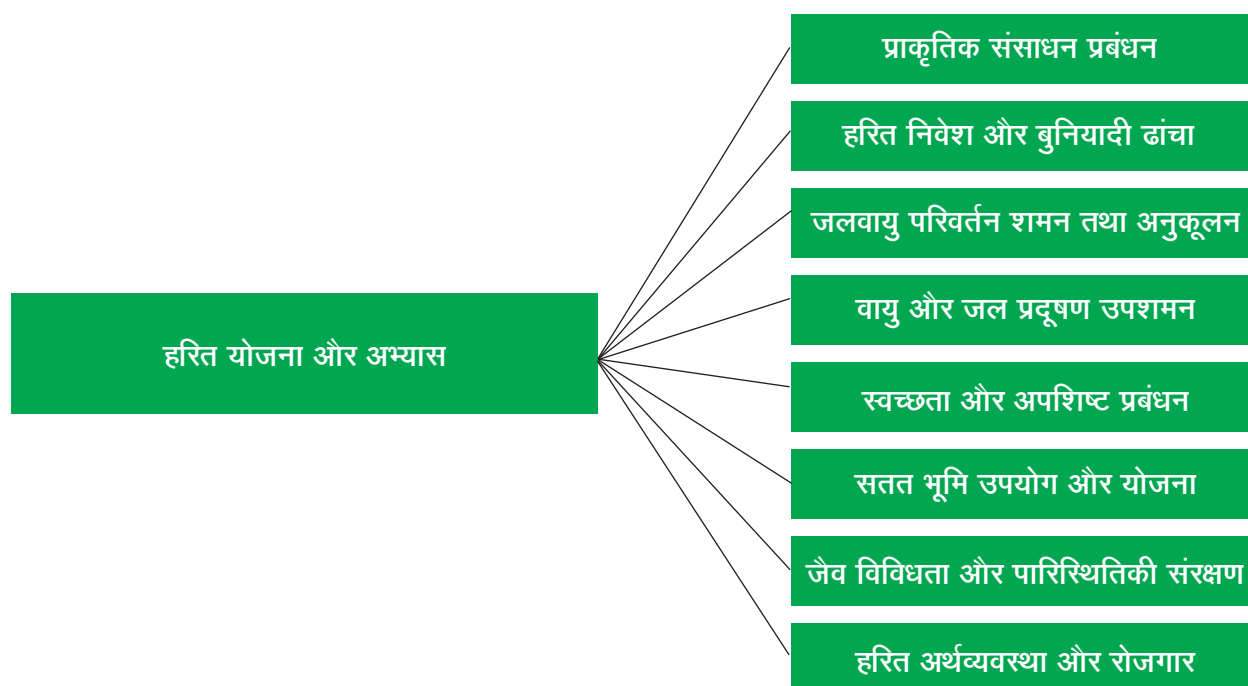


चित्र 1— हरित बजट रूपरेखा का चित्रण

मैपिंग टूलकिट के रूप में, हरित बजट क्षेत्रीय स्तर पर पर्यावरणीय क्रियाओं के संबंध में गहरी जानकारी प्रदान करता है। यह हरित-केंद्रित योजनाओं या कार्यक्रमों पर बजट आवंटन और व्यय के समग्रिकरण पर ध्यान आकृष्ट करता है, जो कि प्रणालीगत अक्षमताओं, क्षेत्रीय विषमताओं और अपर्याप्त बजटीय प्रावधान के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में सहायक हो सकता है। यह देश एवं राज्य के पर्यावरणीय स्थिरता के निर्धारित लक्ष्यों के प्रति कार्य करने हेतु अंतर-विभागीय समन्वय को भी मजबूत करता है। चूंकि सार्वजनिक व्यय सरकार के कार्यों का एक संकेतक के रूप में माना जाता है, इसलिए हरित बजट नीति-निर्माताओं के लिए एक साधन के रूप में स्थापित किया जा सकता है, ताकि कर तंत्र, सहायता अनुदान, निवेश अवसर आदि को हरित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जा सके।

हरित बजट टैगिंग विकास के प्रारंभिक चरण में है और मजबूत नीति उपकरण के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। यह आगामी वर्षों में बजटीय प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय पर व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इससे एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित प्रक्षेत्र के परिणाम और उपलब्धियों को प्रतिबिंबित किया जा सकेगा।

चित्र 2 में प्रमुख परिभाषित ढांचे को दर्शाया गया है, जो 8 विषयात्मक क्षेत्रों को पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने वाले या प्रोत्साहित करने वाले के रूप में मान्यता देता है।



चित्र 2- हरित बजट के विषयगत पहलुओं का चित्रण

बिहार राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं संरक्षण तथा एसडीजी प्रदर्शन में सुधार आवश्यक है। हरित बजट, विषय-आधारित बजटीय मानचित्रण की एक सरलीकृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो अन्य बजट दस्तावेजों, जैसे कि बाल बजट और जेंडर बजट के समान है। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ राज्य की नीतियों, उद्देश्यों और गतिविधियों का संरेखण किया जाता है। यह अभ्यास हरित या पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी परिणामों की दिशा में कार्यक्रम-स्तर के बजटीय प्रावधानों का आंकलन तथा जांच करने पर केंद्रित है। हरित बजट टैगिंग दृष्टिकोण SDG⁷ और RIO-Markers⁸ ढांचे से लिया गया है।

पिछले वर्ष के बजट के समान, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार के हरित बजट को तैयार करने के लिए निम्नलिखित टैगिंग और ट्रेकिंग चरणों का पालन किया गया है-

चरण 1

राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा उनकी वार्षिक योजनाओं एवं बजटीय दस्तावेजों से कार्यक्रम संबंधी क्रियान्वयन की पहचान की गई। इस संदर्भ में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कार्यक्रम सम्बंधित दिशा-निर्देशों एवं उद्देश्यों की समीक्षा की गई। साथ ही उन योजनाओं की भी पहचान की गई जिनमें हरित या पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्यों हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिविधियां/घटक मौजूद थे।

7 एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड: विस्तृत कार्यप्रणाली पेपर; गिलाउम लाफॉर्च्यून, ग्रेसन फुलर, जॉर्जमोरेनो, गुइडो शिमट-ट्रब, क्रिश्चियन क्रोल; सितंबर 2018

<https://github.com/sdsna/2018GlobalIndex/raw/master/2018GlobalIndexMethodology.pdf>

8 जलवायु के लिए ओईसीडी डीएसी रियो मार्कर; पुस्तिका:

https://www.oecd.org/dac/environment-development/Revised%20climate%20marker%20handbook_FINAL.pdf

चरण 2

विहित प्रपत्र के अनुसार, हितधारक विभागों से संबंधित स्कीमों एवं उनके बजटीय प्रावधानों को एकत्र किया गया। वित्त विभाग द्वारा आवश्यकता-आधारित तकनीकी सहायता की सुविधा प्रदान की गई। इससे बजट ट्रेकिंग और डेटा संधारण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद मिली है।

चरण 3

बजट के आंकड़ों की दोहरी गणना से बचने एवं त्रुटियों को कम से कम रखने हेतु 'टैगिंग और ट्रेकिंग' पद्धति को अपनाया गया। विभाग और योजनावार बजट कोड को संबंधित योजनाओं या कार्यक्रमों को ट्रेक करने के लिए मानक सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया गया था। इसके अलावा, कोड को विभिन्न एसडीजी और पर्यावरणीय योजनाओं और प्रथाओं के साथ टैग किया गया।

तालिका 1: हरित बजट तैयार करने हेतु अपनाए गए दृष्टिकोण

बजटीय प्रावधान एवं व्यय का आंकलन	हरित योजना के उद्देश्यों के अनुरूप हितधारक विभागों की पहचान	वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से विभागीय समग्र उद्देश्यों की जांच।
		हरित उद्देश्यों के अनुरूप विभागीय नीतियों और प्रमुख पहलों की जांच।
	हरित नियोजन के प्रति योगदान देने वाले योजनाओं और कार्यक्रमों की ट्रेकिंग	हरित उद्देश्यों के अनुरूप विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की जांच।
		विभागीय आर्थिक योजना, उनके लक्ष्य और उपलब्धियों की ट्रेकिंग के लिए हितधारक परामर्श।
	ट्रेक की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए बजटीय आवंटन और व्यय की टैगिंग	वित्तीय बजट परिव्यय से विभागवार एवं योजनावार बजटीय प्रावधानों का संग्रहण।
		विभागीय बजटीय आवंटन और व्यय से हरित बजट प्रावधानों का संकलन
		टैग की गई योजनाओं और कार्यक्रमों की हरित गतिविधि के महत्व की जांच।

इस उद्देश्य के लिए, SDG मैपिंग और और RIO-Markers के मानक ढांचे को ट्रेकिंग और टैगिंग के लिए एक पद्धति के रूप में संदर्भित किया गया। प्रत्येक योजना और उसके उद्देश्यों और घटकों की विस्तार से समीक्षा की गई ताकि उन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सके, जैसा कि नीचे तालिका-2 में बताया गया है। संचयी योजना स्कोर तक पहुंचने के लिए योजनाओं के विभिन्न घटकों को ट्रेक किया गया। यह कार्य उद्देश्यों और गतिविधि बिंदुओं के साथ योजना घटकों के संरेखण पर आधारित है। यह प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) से जुड़े कार्य बिंदुओं एवं गतिविधियों के बीच सामंजस्य, जलवायु परिवर्तन पर बिहार राज्य कार्य योजना (SAPCC), राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) तथा गतिविधियों के वर्गीकरण पर मौजूदा दस्तावेज जैसे कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों और व्यय का वर्गीकरण (CEPA), पर्यावरण गतिविधियों का वर्गीकरण (CEA) तथा BIOFIN वर्गीकरण आदि मानक ढांचाओं पर आधारित है। ट्रेक की गई योजना-वार स्कोरिंग के आधार पर, विभिन्न बजट कोड को 'हरित' टैग किया गया।

तालिका 2: हरित घटक और पर्यावरणीय स्थायित्व का महत्व

हरित बजट महत्व सीमा	उदाहरण स्वरूप हरित योजनाएँ या गतिविधि
पूर्ण महत्व (100–90 प्रतिशत)	राष्ट्रीय वानिकीकरण कार्यक्रम, टाइगर प्रोजेक्ट, ई-वाहन योजना, ऊर्जा दक्षता, रिन्यूएबल ऊर्जा योजनाएं, इत्यादि।
अति उच्च महत्व (90–75 प्रतिशत)	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, औषधीय पौधों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन, इत्यादि।
उच्च महत्व (75–50 प्रतिशत)	परम्परागत कृषि विकास योजना, जलवायु अनुकूल कृषि योजना, भू-जल प्रबंधन और विनियमन, राष्ट्रीय भू-जल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम, इत्यादि।
मध्यम महत्व (50–25 प्रतिशत)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, इत्यादि।
निम्न महत्व (25–05 प्रतिशत)	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन, परम्परागत कृषि विकास योजना, इत्यादि।
सीमांत महत्व (05 प्रतिशत या इससे कम)	प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, एनसीसी, पर्यावरण स्वयंसेवी कार्यक्रम, सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री, इत्यादि।

टिप्पणी:

- पर्यावरणीय स्थिरता के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों/प्रतिबद्धताओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए कार्यक्रम संबंधी बजट अनुमानों का विश्लेषण पर्याप्त नहीं है।
- हरित बजट में केवल चुनिंदा विभागों के बजट अनुमानों, योजनाओं और कार्यक्रमों के आवंटन एवं व्यय को ही शामिल किया गया है, इसलिए परिणाम या व्यय पूर्ण स्थिति को व्यक्त नहीं करते हैं।
- पर्यावरण नियमों को बजट के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान कार्यप्रणाली में हरित बजट पर्यावरणीय स्थिरता हेतु व्यय की दक्षता का मूल्यांकन नहीं करता है।
- उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद, इस प्रक्रिया से संबंधित लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पर्यावरण नीति, सार्वजनिक वित्त और बजट, हरित अर्थव्यवस्था आदि जैसे महत्वपूर्ण एजेंडे को एकत्र करने की संभावना है।

बिहार की पर्यावरणीय स्थिति

बिहार लगभग 10.41 करोड़ की कुल आबादी (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) वाला भारत का एक भू-बद्ध (लैंडलॉक्ड) राज्य है, जिसका जनसंख्या घनत्व लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (राष्ट्रीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से बहुत अधिक) है।⁹ राज्य इंडो-गंगेटिक मैदानी क्षेत्र के मध्य में स्थित है जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किमी है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.86 प्रतिशत है। 2021 में राज्य की वार्षिक औसत वर्षा 1413.9 मिमी थी, तथा औसत न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि औसत अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।¹⁰ तालिका-3 में बिहार के प्रासंगिक पर्यावरणीय स्थिरता संकेतकों की स्थिति को दर्शाया गया है।

अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) के अनुरूप, भारत ने देश भर में अपने संचयी ऊर्जा दक्षता लक्ष्य को 2030 तक 150 MTOE तक बढ़ा दिया है। जबकि प्राप्त ऊर्जा का 75 प्रतिशत प्रमुख ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का कारण है। ऊर्जा की कुशलता में सुधार को उत्सर्जन कमी के लक्ष्यों के लिए अत्यावश्यक माना गया है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक (SECI) के अनुसार, ऊर्जा में सुधार के लिए राज्य के प्रयासों को 27 प्रमुख संकेतकों और 6 व्यापक मापदंडों पर मापा गया है, जैसे कि DISCOMs का प्रदर्शन, सामर्थ्य और विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा कुशलता, पर्यावरणीय स्थिरता और नई पहल। मूल्यांकन के आधार पर, बिहार ने 100 में से 38.3 अंक प्राप्त किए हैं और बड़े राज्यों की श्रेणी में 20 में से 15वें स्थान पर है। जबकि पर्यावरणीय स्थिरता रैंकिंग में राज्य को 33.7 अंक मिले हैं और वह 12वें स्थान पर है।¹¹ राज्य के संपूर्ण प्रदर्शन से पता चलता है कि स्वच्छ ऊर्जा पहलों, ऊर्जा कुशलता, पर्यावरणीय स्थायित्व और नई पहलों के मामले में सुधार के लिए काफी अवसर है।

बिहार का वन आवरण 7,442 वर्ग किलोमीटर है, जो 2019 के बाद से 565 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। जबकि राज्य के संपोषित हरित आवरण का आंकड़ा 13,896 वर्ग किलोमीटर पर दर्ज किया गया है, जिसमें वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का कुल क्षेत्रफल शामिल है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 14.75 प्रतिशत हरित आवरण को दर्शाता है, जिसका भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उच्च-क्षमता उपग्रही डेटा (LISS-IV, 5-8m) का उपयोग करके विश्लेषण किया गया है।¹² राज्य के लगभग 3738 वर्ग किमी क्षेत्र जैव विविधता क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें 13 पार्क और अभयारण्य हैं। इन अभयारण्यों में 5 पक्षी अभयारण्य, 1 बाघ अभयारण्य और 1 समर्पित डॉल्फिन अभयारण्य शामिल हैं। राज्य में लगभग 4,03,209 हेक्टेयर की समृद्ध विविधता वाली 21,998 आर्द्रभूमि हैं, जिनमें 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली 37 आर्द्रभूमि, 2.25 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली 17,582 और 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली शेष भूमि शामिल हैं।

9 भारत की जनगणना 2011:

https://censusindia.gov.in/2011-prov_results/data_files/bihar/Provisional%20Population%20Totals%202011-Bihar.pdf

10 बिहार आर्थिक सुर्वेक्षण 2022-23: <https://drive.google.com/file/d/1BsSosdkAKXYgJQMRzeAvFhLFnlrAgyDY/view>

11 राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक:

राउंड I: <https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-04/StateEnergy-and-ClimateIndexRoundI-10-04-2022.pdf>

12 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3: बिहार में पर्यावरण की स्थिति

संकेतक	राज्य की स्थिति	टिप्पणी
सामान्य¹³		
कुल जनसंख्या	104,099,452	जनसंख्या की दृष्टिकोण से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।
भौगोलिक क्षेत्र	94,163 कि०मी० ²	क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है।
जनसंख्या घनत्व	1106 प्रति कि०मी० ²	सभी भारतीय राज्यों में बिहार का पहला स्थान है।
राष्ट्रीय सूचकांक		
जलवायु परिवर्तन भेद्यता रैंकिंग ¹⁴	6वीं	झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम के साथ बिहार में जलवायु परिवर्तन की उच्च संवेदनशीलता है।
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्कोर ¹⁵	21	2020 से 2021–22 तक स्कोर में 5 अंकों का सुधार हुआ।
राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक स्कोर ¹⁶	38.3	20 राज्यों में से बिहार बड़े राज्यों की श्रेणियों में 15वें स्थान पर है।
पर्यावरणीय स्थिरता स्कोर ¹⁷	33.7	20 राज्यों में से बिहार बड़े राज्यों की श्रेणियों में 12वें स्थान पर है।
समग्र जल प्रबंधन सूचकांक ¹⁸	37.8	2016–17 से 2017–18 तक, स्कोर में 0.3 की कमी आई और 17 राज्यों में से 16 वें स्थान पर रहे।
सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग ¹⁹ (कुल)	28वीं	2019 से 2020 तक, समग्र स्कोर में 2 अंकों का सुधार हुआ।
स्वच्छ जल एवं स्वच्छता ²⁰ (लक्ष्य-6)	91	2019 से 2020 तक समग्र स्कोर में 11 अंकों का सुधार हुआ।
सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा ²¹ (लक्ष्य-7)	78	2019 से 2020 तक समग्र स्कोर में 16 अंकों का सुधार हुआ।
भूमि पर जीवन ²² (लक्ष्य-15)	62	2019 से 2020 तक समग्र स्कोर में 9 अंकों का सुधार हुआ।

13 भारत की जनगणना 2011:

https://censusindia.gov.in/2011-prov_results/data_files/bihar/Provisional%20Population%20Totals%202011-Bihar.pdf

14 क्लाइमेट वलनेरेबिलिटी अस्सेसमेंट फ्रेमवर्क: <https://dst.gov.in/sites/default/files/Full%20Report%20%281%29.pdf>

15 राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, 2021–22: <https://stateenergyefficiencyindex.in/state-performance-summary/>

16 राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक:

राउंड I: <https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-04/StateEnergy-and-ClimateIndexRoundI-10-04-2022.pdf>

17 राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक:

राउंड I: <https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-04/StateEnergy-and-ClimateIndexRoundI-10-04-2022.pdf>

18 समग्र जल प्रबंधन सूचकांक नीति आयोग, अगस्त 2019: https://social.niti.gov.in/uploads/sample/water_index_report2.pdf

19 सतत विकास लक्ष्य भारत स्कोर 2020: <https://sdgindiaindex.niti.gov.in/#/ranking>

20 सतत विकास लक्ष्य भारत स्कोर 2020: <https://sdgindiaindex.niti.gov.in/#/ranking>

21 सतत विकास लक्ष्य भारत स्कोर 2020: <https://sdgindiaindex.niti.gov.in/#/ranking>

22 सतत विकास लक्ष्य भारत स्कोर 2020: <https://sdgindiaindex.niti.gov.in/#/ranking>

संकेतक	राज्य की स्थिति	टिप्पणी
भूमि उपयोग^{23,24}		
ऊसर भूमि (भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत)	7.69 लाख हे० (8.17 प्रतिशत)	2008–09 से ऊसर भूमि क्षेत्र में कुल मिलाकर 1.13 लाख हेक्टेयर की कमी हुई है।
कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि	21.82 लाख हे०	2019–20 से कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में 0.16 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
परती भूमि	12.02 लाख हे०	2019–20 से परती भूमि में 0.16 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
अकृष्य भूमि परती भूमि को छोड़कर	2.6476 लाख हे०	2019–20 से अब तक कोई वृद्धि नहीं हुई है।
सकल शस्य क्षेत्र	72.65 लाख हे०	2019–20 से 0.31 लाख हेक्टेयर की कमी हुई है।
वन²⁵		
रिकॉर्डेड वन क्षेत्र	7,442 कि०मी० ²	2019 से वन क्षेत्र में 565 कि०मी० ² की वृद्धि हुई है।
वनों के बाहर वृक्षाच्छादित क्षेत्र ²⁶	6454 कि०मी० ²	उच्च विभेदन उपग्रह डेटा (LISS-IV, 5.8m) का उपयोग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए वन क्षेत्र के बाहर वृक्ष आच्छादन ²⁷
वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का कुल क्षेत्रफल (भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत)	13,896 कि०मी० ² (14.75 प्रतिशत)	
वृहद् घने वन	333 कि०मी० ²	2019 से कोई वृद्धि दर्ज नहीं हुई है।
मध्यम घने वन	3,286 कि०मी० ²	2019 से 6 कि०मी० ² की वृद्धि दर्ज हुई है।
खुले वन	3,762 कि०मी० ²	2019 से 69 कि०मी० ² की वृद्धि दर्ज हुई है।
वनाच्छादन (भौगोलिक क्षेत्र का%)	7,381 कि०मी० ² (7.84 प्रतिशत)	2019 के बाद से 75 कि०मी० ² की वृद्धि दर्ज की गई है
वनाच्छादन में परिवर्तन (2019 से)	1.03 प्रतिशत	2019 के स्तर से बदलते वन क्षेत्र में बिहार भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छठे स्थान पर है।
वृक्षाच्छादन	2,341 कि०मी० ²	वृक्षाच्छादन बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48 प्रतिशत है।
वन कार्बन स्टॉक	56.881 मिलियन टन	2019 से 1.642 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
ग्रीडिंग स्टॉक	71.56 मिलियन मी० ²	2019 से 4.37 मिलियन मी० ² की वृद्धि हुई है।

23 वैस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया 2019: https://dolr.gov.in/sites/default/files/Bihar_1.pdf

24 लैंड यूज़ स्टैटिस्टिक्स, एमओए, भारत सरकार: <https://aps.dac.gov.in/LUS/index.htm>

25 भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2019: <https://fsi.nic.in/isfr19/vol1/chapter2.pdf>

26 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23: <https://drive.google.com/file/d/1BsSodskAKXYgJQMRzeAvFhLFnlrAgyDY/view>

27 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

संकेतक	राज्य की स्थिति	टिप्पणी
भूजल²⁸		
वार्षिक भूजल पुनर्भरण (2022 तक)	33.15 बिलियन मी० ³	बिहार का वार्षिक भूजल रिचार्ज उत्तर प्रदेश (71.45 बिलियन मी० ³) और मध्य प्रदेश (35.23 बिलियन मी० ³) को छोड़कर सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में अधिक है।
वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (2022 तक)	30.04 बिलियन मी० ³	कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन उत्तर प्रदेश (65.30 बिलियन मी० ³), मध्य प्रदेश (32.58 बिलियन मी० ³), महाराष्ट्र (30.45 बिलियन मी० ³) को छोड़कर सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक है।
सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण (2022 तक)	13.50 बिलियन मी० ³	सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए बिहार का वार्षिक भूजल निष्कर्षण निम्नलिखित राज्यों से कम है— पंजाब (28.02 बिलियन मी० ³), तमिलनाडु (14.43 बिलियन मी० ³), राजस्थान (16.56 बिलियन मी० ³), महाराष्ट्र (16.65 बिलियन मी० ³), मध्य प्रदेश (19.25 बिलियन मी० ³), उत्तर प्रदेश (46.14 बिलियन मी० ³)।
भूजल निष्कर्षण का चरण	44.94 प्रतिशत	बिहार का भूजल निष्कर्षण चरण 2020 में 51.41 प्रतिशत से घटकर 2022 में 44.94 प्रतिशत हो गया है।
कचरा प्रबंधन²⁹		
सीवेज जनरेशन	2276 मिलियन लीटर प्रति दिन	बिहार निम्नलिखित राज्यों की तुलना में अधिक सीवेज उत्पन्न करता है— असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड।
सीवेज उपचार क्षमता (स्थापित)	10 मिलियन लीटर प्रति दिन	बिहार की सभी राज्यों में सबसे कम क्षमता है।
सीवेज उपचार क्षमता (प्रस्तावित)	621 मिलियन लीटर प्रति दिन	
वास्तविक मात्रा का इलाज किया	0 मिलियन लीटर प्रति दिन	बिहार में कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि उसने अभी तक उपचार क्षमता का उपयोग नहीं किया है।
नगरपालिका एसटीपी की संख्या (स्थापित)	1	बिहार की सभी राज्यों में सबसे कम क्षमता है।
नगरपालिका एसटीपी की संख्या (प्रस्तावित)	24	

28 ग्राउंडवाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया 2022: <http://cgwb.gov.in/documents/2022-11-11-GWRA%202022.pdf>

29 सीवेज उपचार संयंत्रों की राष्ट्रीय सूची 2021:

<https://cpcb.nic.in/openpdf?file.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMTyOF8xNjE1MTk2MzIyX21lZGlhcGhvdG85NTY0LnBkZg=>

संकेतक	राज्य की स्थिति	टिप्पणी
जल प्रदूषण³⁰		
आयरन (मानक >1 मिलीग्राम/ली)	21,709 वार्ड	बिहार में प्रभावित जिले— औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सीवान, सुपौल, पश्चिम चंपारण।
आर्सेनिक (मानक >0.05 मिलीग्राम/ली)	4,709 वार्ड	बिहार में आर्सेनिक प्रभावित जिले— बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण, वैशाली।
फ्लोराइड (मानक >1.5 मिलीग्राम/ली)	3,789 वार्ड	बिहार में फ्लोराइड प्रभावित जिले— औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कैमूर (भभुआ), मुंगेर, नवादा, रोहतास, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय।
वायु प्रदूषण³¹		
कणिका तत्व 2.5 (औसत वार्षिक कान्सेन्ट्रेशन 2022)	79 $\mu\text{g}/\text{मी}^3$	2021 से 2022 में 3 $\mu\text{g}/\text{मी}^3$ की कान्सेन्ट्रेशन में कमी।
कणिका तत्व 10 (औसत वार्षिक कान्सेन्ट्रेशन 2022)	166 $\mu\text{g}/\text{मी}^3$	2021 से 2022 में 3 $\mu\text{g}/\text{मी}^3$ की कान्सेन्ट्रेशन में कमी।
सल्फर ऑक्साइड (औसत वार्षिक कान्सेन्ट्रेशन 2022)	8 $\mu\text{g}/\text{मी}^3$	2021 से 2022 में Sox की कान्सेन्ट्रेशन स्थिर रही है।
नाइट्रोजन ऑक्साइड (औसत वार्षिक कान्सेन्ट्रेशन 2022)	35 $\mu\text{g}/\text{मी}^3$	2021 से 2022 में 3 $\mu\text{g}/\text{मी}^3$ की कान्सेन्ट्रेशन में वृद्धि।
जलवायु परिवर्तन³²		
वार्षिक तापमान	3.0°C न्यूनतम 42.5°C अधिकतम	2021 में वार्षिक अधिकतम तापमान लंबे समय के औसत से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम था और वार्षिक न्यूनतम तापमान लंबे समय के औसत से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था।
वार्षिक वर्षा	1413.9 मि॰मी॰	2020 की तुलना में 2021 में 28.9 मिमी की वार्षिक वर्षा में वृद्धि दर्ज की गई है।
औसत हवा की गति	5.1 कि॰मी॰ प्रति घंटा	गया में 6.9 कि॰मी॰ प्रति घंटे की अधिकतम हवा की गति दर्ज की गई है।

30 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23: <https://drive.google.com/file/d/1BsSodkAKXYgJQMRzeAvFhLFnlrAgyDY/view>

31 सीएएक्यूएमएस डैशबोर्ड — एनसीएपी ट्रैकर : <https://ncaptracker.in/caaqms-dashboard>

32 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23: <https://drive.google.com/file/d/1BsSodkAKXYgJQMRzeAvFhLFnlrAgyDY/view>

संकेतक	राज्य की स्थिति	टिप्पणी
आपदा^{33,34}		
हीट वेव	6 दिन	2021 की तुलना में बिहार में हीट वेव के दिनों में 5 दिनों की कमी दर्ज की गई है।
शीत लहर	3 दिन	2021 की तुलना में 2022 में बिहार में अत्यधिक शीत लहर के दिनों में 10 दिन की कमी आयी है।
बाढ़ संभावित जिले	32	पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, गया, कैमूर, जहानाबाद 2021 में प्रभावित रहे।
सूखा प्रभावित जिले	13	गया, नवादा, जमुई, नालंदा, लखीसराय जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, बांका
जैव विविधता^{35,36,37}		
संरक्षित क्षेत्रफल	3,738.28 कि०मी० ²	बिहार के पार्कों और आश्रयणीयों सहित स्थलीय संरक्षित क्षेत्र हरियाणा, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना से अधिक है।
पार्क और आश्रयणी	13	वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, उदयपुर वन्यप्राणी आश्रयणी, कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी, गौतम बुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी, भीमबांध वन्यप्राणी आश्रयणी, राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी, रजौली वन्यप्राणी आश्रयणी, विक्रमशिला गांगेय डॉलफिन आश्रयणी, नागी डैम पक्षी आश्रयणी, नकटी डैम पक्षी आश्रयणी, काँवर झील पक्षी आश्रयणी, कुशेश्वरस्थान पक्षी आश्रयणी, बरैला झील पक्षी आश्रयणी,
समर्पित पक्षी आश्रयणी	5	कुशेश्वरस्थान पक्षी आश्रयणी (दरभंगा), बरैला झील पक्षी आश्रयणी (हाजीपुर), नागी डैम पक्षी आश्रयणी (जमुई), नकटी डैम पक्षी आश्रयणी (जमुई), कंवर झील पक्षी आश्रयणी (बेगूसराय)

33 बिहार आर्थिक सुर्वेक्षण 2022–23: <https://drive.google.com/file/d/1BsSodkAKXYgJQMRzeAvFhLFnlrAgyDY/view>

34 भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

35 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार वार्षिक प्रतिवेदन 2022–23 :

<https://state.bihar.gov.in/forest/cache/36/Hariyali%20Mission/Annual%20Report/22-23.pdf>

36 बाघों की स्थिति 2022: https://ntca.gov.in/assets/uploads/Reports/AITM/Status_Tigers_2022_Summary-1.pdf

37 भारत में तेंदुए की स्थिति, 2018—अंतिम रिपोर्ट: https://ntca.gov.in/assets/uploads/Reports/AITM/Status_Leopard_Report_2018_web.pdf

संकेतक	राज्य की स्थिति	टिप्पणी
समर्पित बाघ आश्रयणी	1	वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का एकमात्र बाघ आश्रयणी है।
समर्पित डॉल्फिन आश्रयणी	1	विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन आश्रयणी बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है।
बाघ की जनसंख्या	31	बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में बाघों की संख्या 2018 की जनगणना में 26 से 37 के बीच पाई गई है।
तेंदुआ की जनसंख्या	98	2018 की जनगणना में बिहार में तेंदुओं की संख्या 90 से 106 के बीच पाई गई है।
गज की जनसंख्या	25	बिहार में गज की उपस्थिति पड़ोसी क्षेत्रों जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और नेपाल के जंगलों से आवाजाही के कारण है।
महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि³⁸		
रामसर स्थल ³⁹	1	बेगूसराय की कांवर झील को देश का 39वां रामसर साइट 2022 में घोषित किया गया है जो बिहार का पहला रामसर साइट है।
आर्द्रभूमि	21,998	बिहार में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.4 प्रतिशत अनुमानित है।
क्षेत्रफल	4,03,209 हे०	
आर्द्रभूमि (>100 हेक्टेयर)		बिहार में आर्द्रभूमि का विस्तार (>100हेक्टेयर) ⁴⁰ : 1. कबर ताल, बेगूसराय (2677 हेक्टेयर) 2. ताल बरैला, वैशाली (1204 हेक्टेयर) 3. बदुआ जलाशय, बांका (1031 हेक्टेयर) 4. कोलिया खाप, बक्सर (696 हेक्टेयर) 5. सलाह चौर, वैशाली (638 हेक्टेयर) 6. बेलासी बांध, बांका (514 हेक्टेयर) 7. सरोतर चौर, पूर्वी चंपारण (479 हेक्टेयर) 8. तिरला न, कटिहार (309 हेक्टेयर) 9. सरिया मान सिस्वा, पश्चिम चंपारण (295 हेक्टेयर)
संख्या	37	
क्षेत्रफल	12,182 हे०	
आर्द्रभूमि (<2.25 हेक्टेयर)		
संख्या	17,582	
क्षेत्रफल	17,582 हे०	
आर्द्रभूमि (>2.25 हेक्टेयर)		
झील/तालाब	514	
क्षेत्रफल	20,281 हे०	
गोखुर झील	989	

38 राष्ट्रीय वेटलैंड एटलस, बिहार: <http://bswa.bihar.gov.in/Downloads/National%20Wetland%20Atlas%20Bihar.pdf>

39 रामसर साइट सूचना सेवा 2022: <https://rsis.ramsar.org/>

40 बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण: <http://bswa.bihar.gov.in/Downloads/133%20Wetland%20List.pdf>

संकेतक	राज्य की स्थिति	टिप्पणी
क्षेत्रफल	16,172 हे०	10. कनाल झील, दरभंगा (243 हेक्टेयर)
नदी जनित	200	11. पहेटिया चौर, वैशाली (235 हेक्टेयर)
क्षेत्रफल	2,118 हे०	12. पारसा चौर, कटिहार (228 हेक्टेयर)
जल-जमावग्रस्त (प्राकृतिक)	1300	13. नरसन चौर, मुजफ्फरपुर (227 हेक्टेयर)
क्षेत्रफल	34,878 हे०	14. देबखल चौर, समस्तीपुर (217 हेक्टेयर)
नदी / धारा	238	15. नगी जलाशय, जमुई (207 हेक्टेयर)
क्षेत्रफल	2,98,408 हे०	16. चौर मंगुरहा, पूर्वी चंपारण (188 हेक्टेयर)
जलाशय / बैराज	90	17. घोरघाईया चौर, सिवान (185 हेक्टेयर)
क्षेत्रफल	8,612 हे०	18. सुरैला चौर, सिवान (175 हेक्टेयर)
टैंक / तालाब	1067	19. कोटियाशरीफ मान, मुजफ्फरपुर (155 हेक्टेयर)
क्षेत्रफल	417,822 हे०	20. गंगाप्रसाद बिल, भागलपुर (154 हेक्टेयर)
जल-जमावग्रस्त (मानव निर्मित)	18	21. पोवरा चौर, वैशाली (151 हेक्टेयर)
क्षेत्रफल	336 हे०	22. करारिया मान, पूर्वी चंपारण (148 हेक्टेयर)
		23. बोआरिया चौर, वैशाली (148 हेक्टेयर)
		24. धुरडे ताल, सारण (143 हेक्टेयर)
		25. गोगा बिल, कटिहार (137 हेक्टेयर)
		26. पुरानिया चौर, वैशाली (135 हेक्टेयर)
		27. मटवाली मान, पूर्वी चंपारण (129 हेक्टेयर)
		28. लोचन चौर, वैशाली (127 हेक्टेयर)
		29. सोहग मान, पूर्वी चंपारण (121 हेक्टेयर)
		30. मुशरा मान, बेगूसराय (117 हेक्टेयर)
		31. बेराई चौर, वैशाली (116 हेक्टेयर)
		32. दैनी मान, खगड़िया (115 हेक्टेयर)
		33. बावली चौर, पूर्वी चंपारण (111 हेक्टेयर)
		34. कंसार चौर, दरभंगा (109 हेक्टेयर)
		35. मोरवे जलाशय, लखीसराय (107 हेक्टेयर)
		36. सिराला बिल, सहरसा (106 हेक्टेयर)
		37. मोनिका मान, मुजफ्फरपुर (105 हेक्टेयर)

टिप्पणी: लाख हे० . लाख हेक्टेयरय कि०मी०² – वर्ग किलोमीटर³ मिलियन मी०³– मिलियन घन मीटर³ बिलियन मी०³– बिलियन घन मीटरय $\mu\text{g}/\text{मी०}^3$ –माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर

तलिका 4— हरित बजट सारांश

(राशि करोड़ रु० में)

विवरण	बजट अनुमान				अनुमानों में परिवर्तन
वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
राज्य बजट परिव्यय	211761.49	218302.70	237691.19	261885.40	10.18 %*
राज्य की कुल प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ + पूँजीगत प्राप्तियाँ)	211961.49	218502.70	237891.94	262085.40	10.17 %*
राजस्व प्राप्तियाँ	183923.99	186267.29	196704.51	212326.97	07.94%*
केंद्र सरकार से राजस्व प्राप्तियाँ	143934.70	145711.81	149181.89	156115.18	04.65 %*
राज्य के अपने राजस्व	39989.28	40555.47	47522.62	56211.79	18.28 %*
चिन्हित विभाग का स्कीम बजट आवंटन ⁴¹	81176.46	79359.73	79255.54	79074.38	-0.23 %*
चिन्हित योजना का बजट आवंटन	27162.85	29337.33	28380.42	31788.73	12.01 %*
चिन्हित योजना के हरित बजट घटक	5693.88	7682.91	7710.25	9920.77	28.67 %*
विभाग का बजट आवंटन बनाम हरित आवंटन	7.01%	9.68%	9.73%	12.55%	-
चिन्हित योजना का आवंटन बनाम हरित आवंटन	20.96%	26.19%	27.17%	31.21%	-
चिन्हित योजना का वास्तविक व्यय	20181.37 (वास्तविक)	22521.62 (वास्तविक)	—	—	11.60%**
चिन्हित योजना का हरित व्यय	3307.52 (वास्तविक)	6767.29 (वास्तविक)	—	—	104.60 %**

41 इसमें केवल योजना और कार्यक्रम बजट को टैग करने की प्रक्रिया में ध्यान दिया गया है। इसका अर्थ है कि प्रतिबद्धता और स्थापना के लिए आवंटन बजट सारणी से हटा दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की प्रमुख मांग हरित बजट के लिए उनके पूरे बजट आवंटन को मान्य रखा गया है।

*यह वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक प्रतिशत परिवर्तन है। **यह वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक प्रतिशत परिवर्तन है।

तलिका 5- विभागवार हरित बजट सारांश

(राशि करोड़ रु0 में)

क्र. सं.	चिन्हित विभाग	हरित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023-24				
		कुल योजना आवंटन	चिन्हित योजनाओं का बजट	चिन्हित योजनाओं का हरित बजट	कुल आवंटन का हरित प्रतिशत	चिन्हित योजनाओं का हरित प्रतिशत
1	कृषि	2781.99	1611.83	968.50	34.81	60.09
2	उद्योग	1545.00	4.00	1.75	0.11	43.75
3	पशु एवं मत्स्य संसाधन	1093.01	295.74	179.18	16.39	60.59
4	पर्यटन	380.00	245.00	26.99	7.10	11.02
5	पथ निर्माण	4420.99	3273.00	47.99	1.09	1.47
6	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	1947.65	50.00	50.00	2.57	100.00
7	गन्ना उद्योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	ग्रामीण कार्य	7950.27	8652.27	325.04	4.09	3.76
9	लघु जल संसाधन	826.87	788.33	784.58	94.89	99.52
10	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन ⁴²	781.75	773.84	773.84	98.99	100.00
11	जल संसाधन	3212.63	3212.63	552.29	17.19	17.19
12	भवन निर्माण	3762.75	1044.50	73.88	1.96	7.07
13	स्वास्थ्य	7116.55	5.00	5.00	0.07	100.00
14	शिक्षा	22200.35	385.18	16.21	0.07	4.21
15	ग्रामीण विकास	14986.45	7694.70	4742.66	31.65	61.64

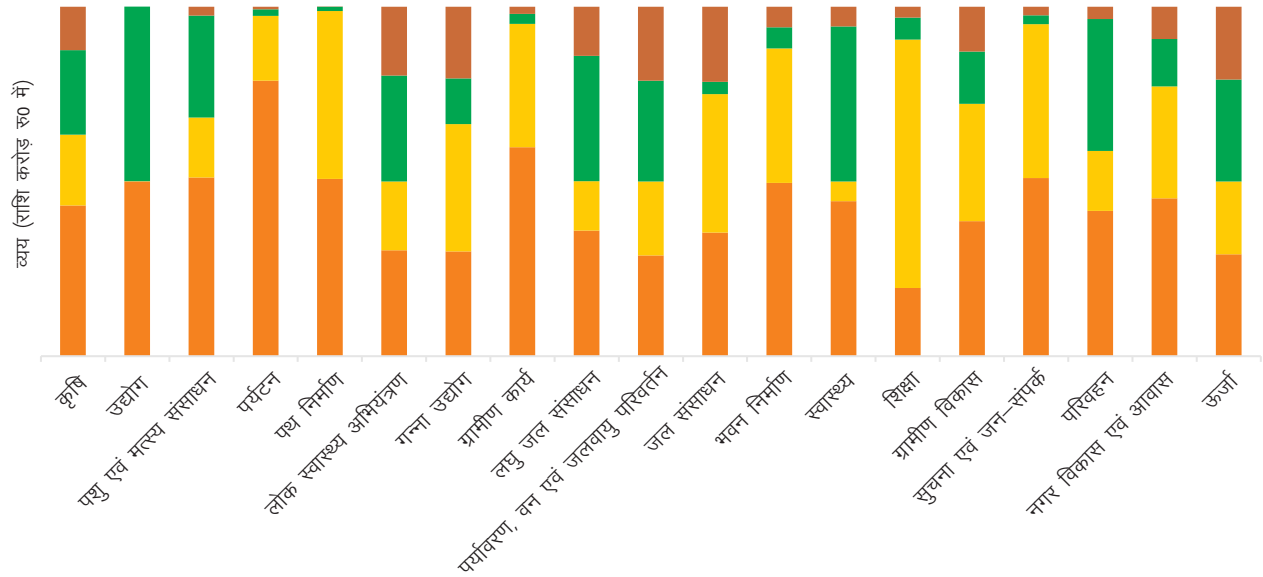
⁴² चुकी पर्यावरण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य का पूर्ण उद्देश्य ही पर्यावरण संरक्षण तथा संधारिणीयता अस्थापित करना है अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनाओं/कार्यक्रमों में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय दोनों की राशि को शामिल किया गया है।

तलिका 6- वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट आवंटन की तुलना में विभागवार व्यय सारांश

(राशि करोड़ ₹0 में)

विभाग	चिन्हित योजनाओं के लिए बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2021-22	बजट आवंटन का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22	चिन्हित योजनाओं का हरित बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2021-22	हरित बजट आवंटन का हरित व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22
कृषि	1572.57	739.81	880.76	455.10
उधोग	10.00	0.01	10.00	0.00
पशु एवं मत्स्य संसाधन	612.47	205.12	349.40	31.22
पर्यटन	208.00	48.82	5.00	2.07
पथ निर्माण	2589.00	2448.57	62.60	2.96
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	25.00	16.31	25.00	16.31
गन्ना उधोग	30.00	36.42	13.13	20.52
ग्रामीण कार्य	7343.00	4342.11	348.40	257.60
लघु जल संसाधन	691.00	271.03	690.00	271.03
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	534.61	392.33	534.61	392.33
जल संसाधन	3007.50	3367.71	300.75	1828.35
भवन निर्माण	1015.00	788.08	122.71	121.55
स्वास्थ्य	5.00	0.64	5.00	0.64
शिक्षा	134.85	491.58	43.43	21.93
ग्रामीण विकास	7684.86	6681.37	2973.53	2550.84
सुचना एवं जन संपर्क	82.23	71.06	4.11	4.00
परिवहन	215.00	89.02	195.00	18.49
नगर विकास एवं आवास	3507.25	2481.50	1049.48	722.21
ऊर्जा	70.00	50.13	70.00	50.13
कुल	29337.34	22521.62	7682.91	6767.29
चिन्हित योजनाओं के बजट आवंटन की तुलना में बजट व्यय			76.77 प्रतिशत	
चिन्हित योजनाओं के हरित बजट आवंटन की तुलना में हरित बजट व्यय			88.08 प्रतिशत	

- हरित बजट आवंटन का हरित व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22
- चिन्हित योजनाओं का हरित बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2021-22
- बजट आवंटन का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22
- चिन्हित योजनाओं के लिए बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2021-22



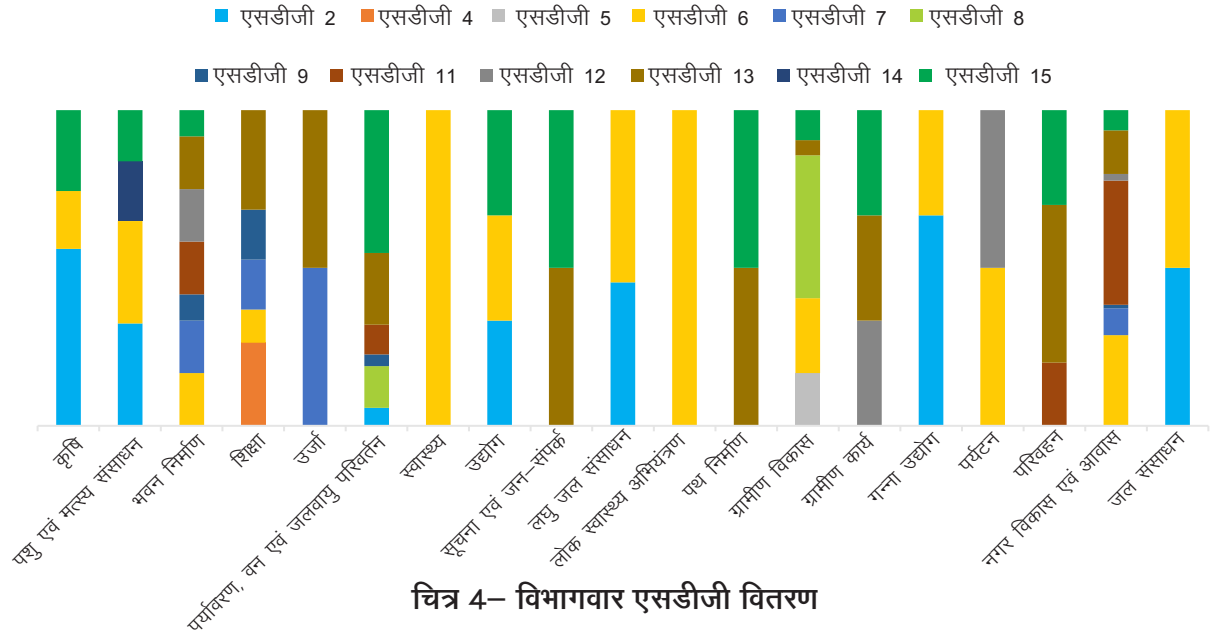
चित्र 3- वास्तविक व्यय की तुलना में विभागवार बजट अनुमानों का चित्रण

तलिका 7- हरित बजट के लिए चिन्हित कुल योजनाएँ

क्र. सं.	चिह्नित विभाग	वर्ग 100%		वर्ग 90-75%		वर्ग 75-50%		वर्ग 50-25%		वर्ग 25-05%		वर्ग 05% या कम		वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल चिह्नित योजनाएँ
		2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	
1	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	30	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
2	लघु जल संसाधन	15	15	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	18
3	परिवहन	1	1	0	0	1	1	0	0	3	3	0	0	5
4	शिक्षा	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	8	8	10
5	ग्रामीण विकास	8	10	0	0	2	2	0	0	0	0	17	31	27
6	ऊर्जा	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	नगर विकास एवं आवास	5	5	6	6	0	0	4	14	14	15	3	0	32
9	उद्योग	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
10	भवन निर्माण	1	3	0	0	0	0	0	0	2	4	1	1	4
11	कृषि	3	3	4	14	21	24	12	18	15	20	0	0	55
12	पशु एवं मत्स्य संसाधन	0	1	0	0	6	4	6	6	0	2	1	5	13
13	जल संसाधन	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	20
14	पथ निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
15	गन्ना उद्योग	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
16	ग्रामीण कार्य	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	5	6
17	सूचना एवं जन-संपर्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
18	पर्यटन	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
19	स्वास्थ्य	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल चिह्नित योजनाओं का योग		74	94	13	23	32	33	24	39	55	66	39	54	237

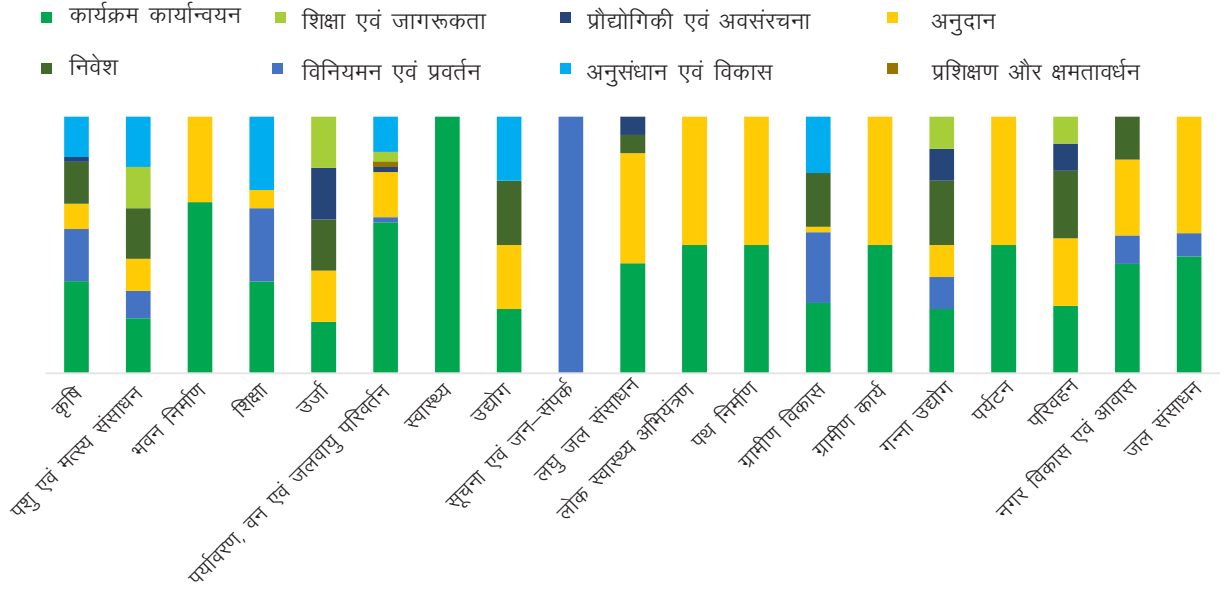
तालिका 8-विभागवार एसडीजी मानचित्रण

विभाग	एसडीजी 2	एसडीजी 4	एसडीजी 5	एसडीजी 6	एसडीजी 7	एसडीजी 8	एसडीजी 9	एसडीजी 11	एसडीजी 12	एसडीजी 13	एसडीजी 14	एसडीजी 15
कृषि	46	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	21
पशु एवं मत्स्य संसाधन	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	7	6
भवन निर्माण	0	0	0	2	2	0	1	2	2	2	0	1
शिक्षा	0	5	0	2	3	0	3	0	0	6	0	0
उर्जा	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	3	0	0	0	0	7	2	5	0	12	0	24
स्वास्थ्य	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
उद्योग	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
सूचना एवं जन-संपर्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
लघु जल संसाधन	15	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
पथ निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
ग्रामीण विकास	0	0	7	10	0	19	0	0	0	2	0	4
ग्रामीण कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6
गन्ना उद्योग	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
पर्यटन	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
परिवहन	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	3
नगर विकास एवं आवास	0	0	0	27	8	0	1	37	2	13	0	6
जल संसाधन	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल चिन्हित एसडीजी	103	5	7	114	15	26	7	46	11	52	7	76

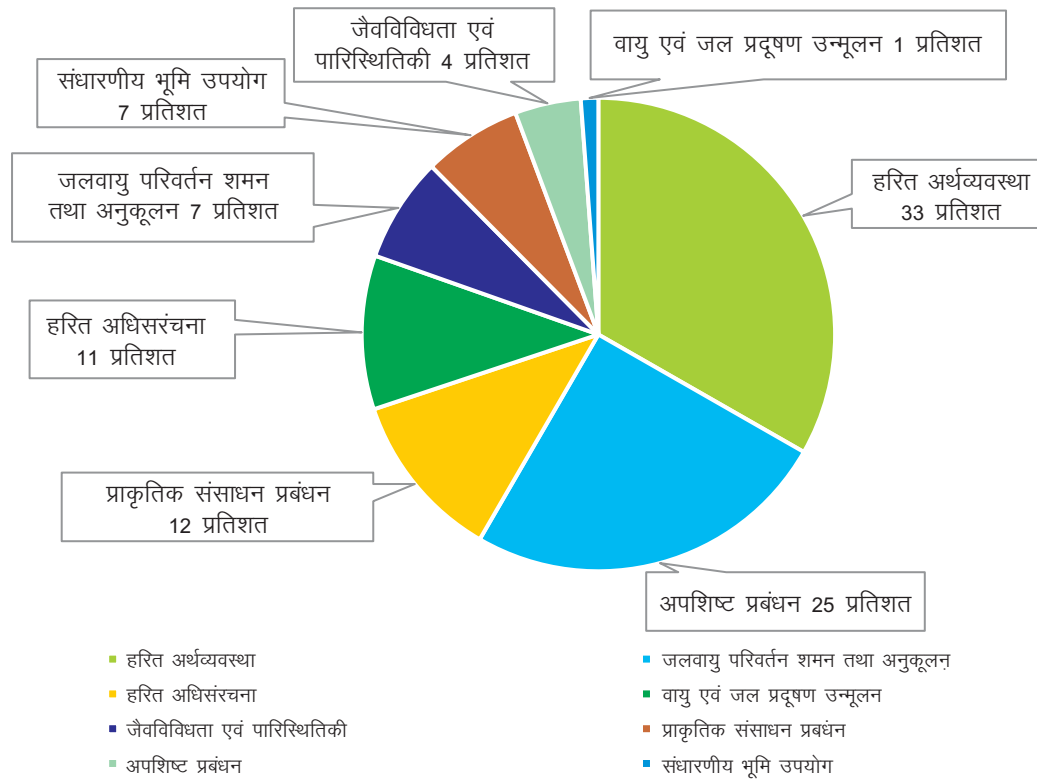


तालिका 9— विभागवार गतिविधि मानचित्रण

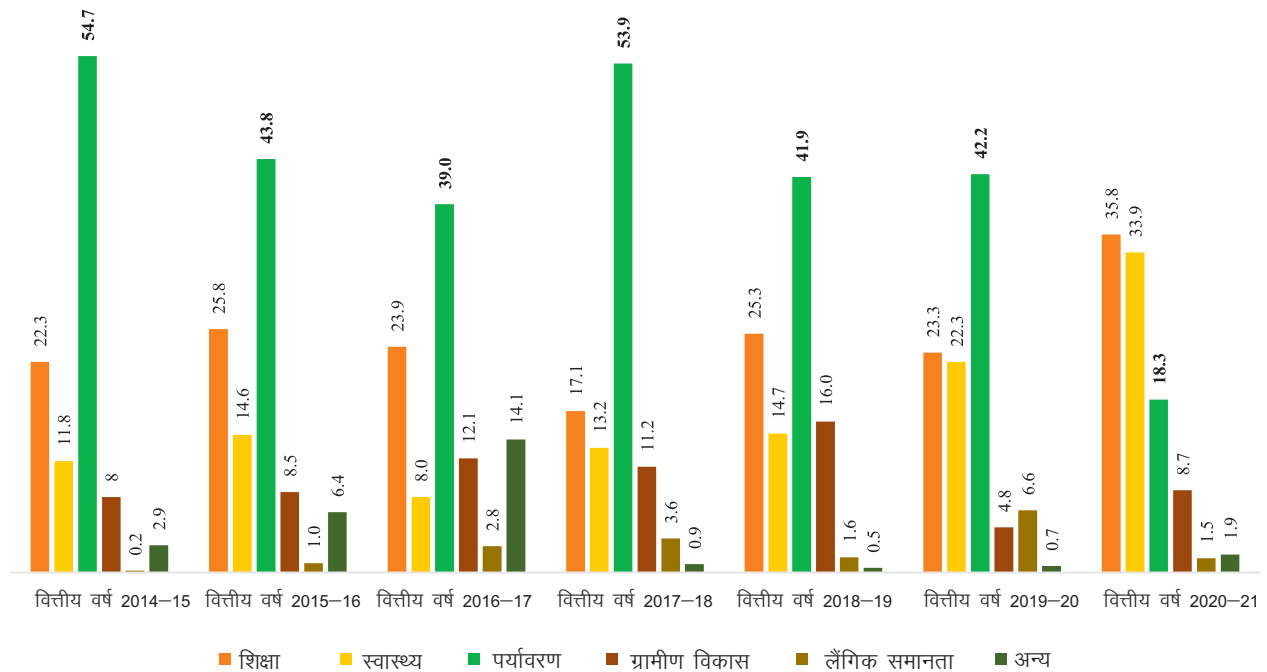
विभाग	कार्यक्रम कार्यान्वयन	शिक्षा एवं जागरूकता	प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना	अनुदान	निवेश	विनियमन एवं प्रवर्तन	अनुसंधान एवं विकास	प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
कृषि	55	31	15	25	3	0	0	24
पशु एवं मत्स्य संसाधन	12	6	7	11	0	0	9	11
भवन निर्माण	4	0	2	0	0	0	0	0
शिक्षा	10	8	2	0	0	0	0	8
उर्जा	2	0	2	2	2	0	2	0
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	30	1	9	0	1	1	2	7
स्वास्थ्य	1	0	0	0	0	0	0	0
उद्योग	1	0	1	1	0	0	0	1
सूचना एवं जन-संपर्क	0	1	0	0	0	0	0	0
लघु जल संसाधन	18	0	18	3	3	0	0	0
लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	2	0	2	0	0	0	0	0
पथ निर्माण	3	0	3	0	0	0	0	0
ग्रामीण विकास	25	25	2	19	0	0	0	20
ग्रामीण कार्य	6	0	6	0	0	0	0	0
गन्ना उद्योग	6	3	3	6	3	0	3	0
पर्यटन	1	0	1	0	0	0	0	0
परिवहन	5	0	5	5	2	0	2	0
नगर विकास एवं आवास	23	6	16	9	0	0	0	0
जल संसाधन	20	4	20	0	0	0	0	0
कुल चिह्नित गतिविधि	224	85	114	81	14	1	18	71



चित्र 5— विभागवार गतिविधि वितरण



चित्र 6— हरित प्राथमिकता क्षेत्रों का प्रतिशतीय अंश



चित्र 7— पर्यावरण क्षेत्र पर सीएसआर व्यय का प्रतिशतीय अंश

बजट सारांश

यह बिहार का चौथा हरित बजट होगा। हरित बजट टैगिंग के माध्यम से, राज्य सरकार का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और हरित प्राथमिकताओं के लिए अनुमानित राजकोषीय बजट और व्यय का उद्देश्य—विशिष्ट, विभाग—वार समेकित मूल्यांकन प्रस्तुत करना है। वर्तमान वर्ष के टैगिंग अभ्यास में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान की गई है, जो राज्य के एसडीजी उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है।

तालिका-4 हरित उद्देश्यों के लिए पिछले चार वर्षों के बजट उपबंध और व्यय का सारांश प्रस्तुत करता है। इस वर्ष राज्य बजट परिव्यय का हरित बजट अनुपात लगभग 3.79 प्रतिशत है जो पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 0.55 प्रतिशत की वृद्धि है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल हरित बजट आवंटन (अनुमान) 9920.77 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के 7710.25 करोड़ रुपये से 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस वर्ष, 237 हरित बजट-टैग की गई योजनाओं में से 56 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना हैं, 28 प्रतिशत राज्य योजना हैं, और शेष केंद्रीय प्रक्षेत्र की योजना हैं। चिन्हित विभागों के स्कीम बजट में हरित बजट का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2022-23 के 9.73 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12.54 प्रतिशत हो गया है।

हरित बजट की इस वर्ष की एसडीजी टैगिंग (तालिका-8) स्वच्छ जल और स्वच्छता (एसडीजी 6), लक्ष्यों के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों पर महत्वपूर्ण ध्यान देने का संकेत देती है, तत्पश्चात, शुन्य भुखमरी (एसडीजी 2), भूमि पर जीवन (एसडीजी 15), जलवायु क्रिया (एसडीजी 13) एवं सुव्यवस्थित शहरीकरण और समुदाय (एसडीजी 11) पर केंद्रित है। मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनाओं के आवंटन में वृद्धि के कारण वर्तमान हरित बजट अनुमानों में लगभग 3 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। चित्र 6 में दिखाई गई विभिन्न पर्यावरणीय प्राथमिकताओं में हरित अर्थव्यवस्था पर अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही, गतिविधि टैगिंग (तालिका-9) से स्पष्ट है कि हरित बजट कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना, शिक्षा एवं जागरूकता, अनुदान, प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन, और अनुसंधान एवं विकास पर प्राथमिकता देता है, जिससे राज्य के हरित उद्देश्यों को बढ़ावा मिल सके।

तालिका 5 में बिहार के सभी 19 हितधारक विभागों के कुल बजट उपबंध और हरित बजट के आंकड़ों का एक तुलनात्मक सारांश है। विशेष रूप से, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग अपने लक्षित उद्देश्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण के कारण शत प्रतिशत हरित बजट अनुपात दर्शाता है। इस प्रकार, विभाग के हरित बजट आंकड़ों में योजनाएं, संस्थान, और समर्पित आवंटन दोनों को शामिल किया गया है। लघु जल संसाधन विभाग लगभग 95 प्रतिशत के अनुपात के साथ, उसके पश्चात कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग और शहरी विकास और आवास विभाग हरित बजट उद्देश्यों के अनुरूप पर्याप्त योगदान दर्शाते हैं।

तालिका-6 वर्ष 2021-22 के हरित बजट अनुमानों की तुलना में किए गए वास्तविक व्यय का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है। बजट आवंटन की तुलना में हरित बजट का वास्तविक व्यय अधिक देखा गया है, यानी वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 58.09 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2021-22 में 88.08 प्रतिशत, जो 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2021-22 में उच्च व्यय राज्य में पर्यावरण-केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति प्राथमिकताओं में बदलाव का प्रतीक है।

बिहार में सीएसआर व्यय (चित्र 7) का एक व्यापक विश्लेषण स्पष्ट रूप से पर्यावरणीय स्थिरता में निजी क्षेत्र के योगदान को दर्शाता है। हालाँकि, यह प्रतिशत वित्त वर्ष 2020-21 के हरित बजट के लगभग 0.3 प्रतिशत के बराबर है। इसलिए, सरकारी प्रयासों को बढ़ाकर और हरित उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्रभाव डालने का सीएसआर के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। सरकार के प्रयासों के अलावा, सीएसआर योगदान में निजी क्षेत्र के हरित उन्मुख निवेश को प्रोत्साहित करने की क्षमता है।

पर्यावरणीय संधारणीयता पर राज्य सरकार की प्रमुख योजनायें

जल-जीवन-हरियाली अभियान

बिहार में पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का शमन, प्रदूषण नियंत्रण तथा जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में “जल-जीवन-हरियाली अभियान” शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पूरे 9 विभागों द्वारा 11 अवयवों पर कार्य किया जाना निर्धारित है।

पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण अवयव के तहत राज्य के वृक्षाच्छादन क्षेत्र को बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया जाना है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर राज्य का हरित आवरण 14.75 प्रतिशत हो गया है। चौथे कृषि रोडमैप के अनुरूप, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण कार्य में हितधारकों को शामिल करना है।

शहरी विकास और आवास विभाग ने लक्षित 332 तालाब/पोखर में से 127 तालाब/पोखरों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के स्वामित्व वाले 442 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के विरुद्ध 435 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। लक्षित 10,551 चापाकलों में से 10,544 चापाकलों के निकट सोख्ता का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। इसी प्रकार, सार्वजनिक कुओं के पास 3,868 सोख्ता का निर्माण किया गया है, और लक्षित 4,040 कुओं के जीर्णोद्धार के विरुद्ध 3,689 कुओं का जीर्णोद्धार कार्य पूरा किया गया है।

शिक्षा विभाग दूसरे चरण में प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय 80,000 हजार रुपये की लागत से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया जा रहा है।

लघु जल संसाधन विभाग राज्य भर में एक एकड़ रकबा से बड़े आहर-पईन और पांच एकड़ से बड़े रकबा वाले जलाशयों के पुनरुद्धार में सक्रिय रूप से

शामिल है। तालाबों और जलाशयों के लिए कुल 1,775 योजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं, और अतिरिक्त 237 परियोजनाएँ वर्तमान में प्रगति पर हैं। इन पूर्ण परियोजनाओं ने 179,344 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान की है और 912 मिलियन क्यूबिक मीटर की जल भंडारण क्षमता को बहाल किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 को देखते हुए, विभाग का लक्ष्य लगभग 524 नई योजनाओं को क्रियान्वित करना है जिसमें तालाब, जलाशय, चेक डैम और गारलैंड ट्रेच शामिल हैं।

अभियान के हिस्से के रूप में, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रत्येक माह के पहले गुरुवार को वार्ड स्तर पर जल चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पानी की बर्बादी को रोकना है।

इको-टूरिज्म और पार्क

ईको पर्यटन एवं उद्यान विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में उद्यानों का विकास एवं अनुरक्षण प्रस्तावित है। 250 एकड़ क्षेत्रफल में फैला नेचर-सफारी, तथा 480 एकड़ क्षेत्रफल में फैला जू-सफारी राज्य के राजगीर में निर्मित इको-टूरिज्म के दृष्टिकोण से पहला सफारी पार्क है। नालंदा जिले में राजगीर रज्जू रोड और इसके आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए पर्यटन संरचनाओं के विकास के लिए 16,38,73,000/रु० का बजट आवंटित किया गया है।

प्राकृति वन क्षेत्र के बाहर वानिकी

राज्य के नहर/नदी तटबंधों के किनारे/पथ तटों पर शहरी वानिकी, जिला/अनुमंडल/प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों पर वृक्षारोपण किया जायेगा। कृषि वानिकी अंतर्गत किसानों द्वारा रैयती भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा तथा कृषकों की भूमि पर पौधशालायें स्थापित करायी

जायेगी। इसके अंतर्गत पूर्व के वर्षों में विभाग द्वारा रोपित पौधों का सम्पोषण किया जायेगा तथा निर्धारित लक्ष्य अनुसार पौधे रोपित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कृषि वानिकी, पथ तट, नदी तट, शहरी वानिकी एवं अन्य जगहों पर पौधों के रोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बांस से बनने वाले उत्पाद यथा— फर्नीचर/ अगरबत्ती इत्यादि के निर्माण के संबंध में हितधारकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

कृषि वानिकी अंतर्गत किसानों द्वारा रैयती भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा तथा कृषकों की भूमि पर पौधशालाएं स्थापित करायी जायेंगी। इसके अतिरिक्त विभागीय पौधशालाओं में 05 लाख पौधे तैयार किये जा रहे हैं, जिनका सम्पोषण किया जायेगा। प्राकृतिक वन के बाहर वानिकी अंतर्गत कृषि वानिकी, पथ तट, नदी तट, शहरी वानिकी एवं अन्य जगहों पर कुल 155.00 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है।

प्रदूषण नियंत्रण

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए फंड से प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। फरवरी 2021 में, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के लिए जलवायु प्रतिरक्षी और निम्न कार्बन विकास मार्ग स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के साथ भागीदारी की। इस सहयोगी अध्ययन का उद्देश्य बिहार में जलवायु परिवर्तन के प्रमुख चालकों की पहचान करना और नेट—जीरो कार्बन उत्सर्जन में उनके प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देना है।

वन्यजीव पर्यावास विकास योजना

वन्यजीव पर्यावास विकास योजना तीन प्रमुख अवयवों पर केंद्रित है— वन्यजीव पर्यावास विकास योजना के अंतर्गत तीन अवयव यथा— आश्रयणियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन, आश्रयणी के बाह्य क्षेत्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन एवं

संकटापन्न वन्यजीवों/जलीय जीवों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन किया जाता है। एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास योजना के अंतर्गत वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किये जायेंगे।

डॉलफिन संरक्षण

बिहार राज्य में देश का एकमात्र डॉलफिन आश्रयणी अवस्थित है। यह आश्रयणी सुल्तानगंज से कहलगांव तक भागलपुर जिला में 60 कि०मी० गंगा नदी की लंबाई में फैली हुई है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉलफिन पर शोध, प्रशिक्षण हेतु नेशनल डॉलफिन रिसर्च केन्द्र, पटना की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है। बिहार राज्य में गंगा, कोशी, महानंदा, गंडक एवं सोन नदी में डॉलफिन सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2022 में Wildlife Trust of India द्वारा विक्रमशीला गांगेय डॉलफिन आश्रयणी में किये गये सर्वे में इनकी संख्या 208 पायी गयी, जबकि वर्ष 2018 में डॉलफिन की संख्या 171 थी।

व्याघ्र परियोजना

राज्य के पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित है। इसके अन्तर्गत वाल्मीकि नेशनल उद्यान एवं वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य भी शामिल है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष वन क्षेत्र का विस्तार 901.07 वर्ग किलोमीटर में है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस आरक्ष क्षेत्र में बाघों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

घड़ियाल संरक्षण

गंडक नदी में घड़ियाल के कुल छरू प्रजनन केन्द्रों की पहचान की गयी है। जून 2020 में इन केन्द्रों से 114 घड़ियाल के बच्चे गंडक नदी में गये हैं। गंडक नदी में घड़ियाल एवं अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षण रिजर्व बनाये जाने का प्रस्ताव है।

कैम्पा प्राधिकरण

कैम्पा प्राधिकरण के माध्यम से वनों के विकास, जल

संरक्षण हेतु माइक्रो वाटरशेड क्षेत्र एवं अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण कराया जाना है। इसके अंतर्गत वन प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु कुल 480 हेक्टेयर में चारागाह का विकास किया जा रहा है।

प्राकृतिक वनों का विकास

परंपरागत वन भूमि, मृदा जल संरक्षण अवकृष्ट वनों का पुर्नवास तथा पूर्व में किये गये पुर्नवास का संपोषण किया जायेगा। जलवायु परिवर्तन के नकरात्मक प्रभावों में कमी के लिये इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 73.84 लाख पौधे लगाये गये। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृक्षारोपण अंतर्गत प्राकृतिक वनों का विकास के लिये 60 लाख पौधे लगाने हेतु अग्रिम कार्य किये जाने का लक्ष्य था, जिसमें पौधा रोपण वित्तीय वर्ष 2023-24 में होगा। इसके अतिरिक्त 3000 हेक्टेयर में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना

मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना पेवर ब्लॉकों का उपयोग करके 10 फीट से अधिक संकरे सड़कों के निर्माण पर केंद्रित है, जो जल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस पहल के लिए कुल बजट का लगभग 10 प्रतिशत हरित बजट के लिए आवंटित किया गया है। लक्षित 3,369 वार्डों में से 3,272 वार्डों में प्रगति हुई है और लगभग 837,717 परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन- सात निश्चय-2

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत नगर निकायों में शौचालय का निर्माण एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाता है। राज्य के सभी नगर निकायों में डोर-टू-डोर कचरे का संग्रहण

एवं स्रोत पर ही कचरे का अलगाव किया जा रहा है तथा कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है।

AMRUT मिशन

AMRUT मिशन का उद्देश्य 27 नगर निकायों में पाकों का निर्माण, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और हरित स्थानों का विकास करके शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, मिशन में जल निकासी और स्वच्छता के लिए वर्षा जल का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए तीन नगर पालिकाओं में वर्षा जल निकासी योजना को लागू करना शामिल है। 21 नगर निकायों में जलापूर्ति योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें भूजल संचयन, पुनर्भरण पीट और स्टैंड पोस्ट की स्थापना जैसी पहल शामिल हैं।

पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पटना में प्रस्तावित परियोजना के लिए दो कॉरिडोरों की पहचान की है। कॉरिडोर-I दानापुर से शुरू होता है और नेहरू मार्ग, पटना रेलवे स्टेशन और मीठापुर से गुजरते हुए खेमनीचक तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 17.933 किलोमीटर है। कॉरिडोर-II 14.554 किमी की दूरी में फैला है, जो पटना रेलवे स्टेशन को पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से जोड़ता है। यह आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोइनल हक स्टेडियम, मलाही पकड़ी बाईपास, खेमनी चक और जीरो माइल सहित कई स्थलों से गुजरती है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन से सार्वजनिक वाहनों का परिचालन कम होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रैफिक, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में कमी आयेगी।

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) दो प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है- शौचालयों का निर्माण और ठोस कचरे का प्रभावी प्रबंधन। वर्तमान में 407,496 शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है, जो 408,795 शौचालयों के लक्ष्य को प्राप्त करने के काफी करीब है। राज्य के

141 नगर निकायों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और स्रोत पर ही कचरे के पृथक्करण के लिए एक व्यापक प्रणाली स्थापित की गई है। परिणामस्वरूप, एकत्र किए गए कुल कचरे का 33.1 प्रतिशत (1,780 टीपीडी), जो कि 5,467 टीपीडी है, को सफलतापूर्वक शोधित किया गया है। अपशिष्ट प्रबंधन के प्रयासों को बढ़ाने के लिए, 35 नगर निकायों में 51 Material Recovery Facility (MRF) और 87 नगर निकायों में 181 अपशिष्ट कंपोस्ट केंद्र संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) मॉडल उप-नियम, 2022 में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के प्रावधान शामिल हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य पर्यावरणीय लाभों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। पटना स्मार्ट सिटी योजना के तहत, 20 भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं या स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे 908 KWH बिजली का उत्पादन हो रहा है। बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी योजना के तहत, 37 भवनों/स्थानों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से सुसज्जित किया गया है या सुसज्जित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 140 KWH बिजली का उत्पादन होता है। भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना में, 7 भवनों/स्थानों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से सुसज्जित किया गया है या सुसज्जित करने की प्रक्रिया में है, जिससे 320 KWH बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।

वाहन ग्रीन टैक्स

पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बिहार मोटरयान करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 5 की उपधारा (6) के अनुसार, प्रत्येक वाहन स्वामी द्वारा जिनके पास 12 वर्षों से अधिक पुराना निबंधित परिवहन वाहन है, तिपहीया वाहन, ट्रैक्टर और ट्रेलर को छोड़कर, अतिरिक्त कर सहित कुल कर का 10 प्रतिशत 'हरित कर' भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होता है।

बिहार स्वच्छ ईंधन योजना

परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पटना नगर निगम की सीमा के साथ-साथ दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में सभी प्रकार के डीजल से चलने वाले तिपहीया वाहनों का संचालन 31 मार्च, 2022 की मध्य रात्रि से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के तहत, प्रतिबंधित क्षेत्रों में डीजल/पेट्रोल से चलने वाले तिपहीया वाहनों को सीएनजी/बैटरी से चलने वाले तिपहीया वाहनों से बदलने और पेट्रोल संचालित तिपहीया/मोटर कैब, मैक्सी कैब में सीएनजी किट लगाने के लिए धन का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत कुल 1,505 लाभार्थियों को 4,01,20,000/- रुपये की सब्सिडी दिया गया है। पटना के शहरी क्षेत्र में 30 सितंबर 2023 से डीजल से चलने वाली सिटी बसों के संचालन पर रोक लगाने और 121 डीजल से चलने वाली सिटी बसों को सीएनजी बसों से बदलने का प्रस्ताव है। बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के तहत मालिकों को प्रति बस 7.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह प्रस्ताव फिलहाल प्रक्रियाधीन है।

15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध

राज्य सरकार ने जनहित को देखते हुए विभागीय परिपत्र- 8116 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से, पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, और फुलवारीशरीफ नगर परिषद ने 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो तुलनात्मक रूप से उच्च स्तर का प्रदूषक उत्सर्जन करते हैं। यह प्रतिबंध नवम्बर 2019 से लागू किया गया था।

डीजल से सीएनजी रूपांतरण

परिवहन विभाग द्वारा वायु प्रदूषण की खतरनाक

स्थिति को देखते हुए सिटी बस सेवा में संचालित डीजल बसों को सीएनजी में परिवर्तित कर सीएनजी बसों की खरीद की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में बस खरीद के लिए बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम (BSRTC) के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है, जिसमें से 11,41,50,000 /— रुपये सीएनजी बसों की खरीद पर खर्च किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में बस खरीद के लिए BSRTC को 20 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023–24 में बस खरीद के लिए BSRTC को 40 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना राजपत्र अधिसूचना संख्या 823 दिनांक 05.09.2020 के माध्यम से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत से पांच चयनित हितग्राहियों को वाहन क्रय करने पर क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 1.00 लाख तक अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत, चयनित लाभार्थी ई-रिक्शा की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 70,000 रुपये तक की सब्सिडी के पात्र हैं।

वाहन स्क्रेपेज नीति

वाहन जनित प्रदूषण को कम करने एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 5124 दिनांक 30.06.2020 में सभी प्रकार के पंजीकृत वाहन जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, नष्ट कर दिये गये हैं, कबाड़ के रूप में बेच दिये गये हैं, अनुपयोगी हो गये हैं, या तकनीकी कारणों से परिचालन के योग्य नहीं रहा हो अथवा निजी या व्यवसायिक जो परिचालन के योग्य हो परन्तु 15 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण वाहन स्वामी उपर्युक्त वाहन को विनष्ट करने हेतु निबंधन रद्द कराना चाहते हैं वैसे वाहनों को बकाये कर एवं अर्थदण्ड में राहत देते हुए योजना लाई गई है।

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना

प्रदेश में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय फसलों के क्षेत्रफल विस्तार की योजना क्रियान्वित की जा रही है। औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती पर जोर दिया जा रहा है। ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जा रहा है।

एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)

बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाइटी (BWDS) द्वारा बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, भागलपुर, बक्सर और बेगूसराय में इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए वर्षा जल की उपलब्धता में वृद्धि करना, पारिस्थितिकी को संरक्षित करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना, मिट्टी की नमी में वृद्धि करना, जल संचयन को बढ़ावा देना, भूजल का पुनर्भरण करना, फसल उत्पादन में वृद्धि के साथ प्राकृतिक संसाधनों को बहाल करना है।

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण योजना

बिहार में ग्रामीण सड़कों के नियमित रख-रखाव के लिए “बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018” लागू की गई है। इस नीति के तहत सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है। वृक्षारोपण को प्रभावी बनाने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि भुगतान मापी विपत्र में अंकित प्रति वृक्ष के दर का 30 प्रतिशत के हिसाब से किया जाएगा एवं 70 प्रतिशत राशि पांच वर्ष के लिए वृक्षों के रखरखाव के बाद भुगतान के लिए देय होगी, मृत पेड़ों वृक्षों की दर को 100 प्रतिशत घटाया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 8,443 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार किया गया है और सड़क के

दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। वर्तमान में, कुल 7,689 सड़कों (22,811 किमी की कुल लंबाई के साथ) के लिए स्वीकृति प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 9,000 किलोमीटर सड़कों में वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ब्लैकटॉप सड़कों के निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक (बिटुमिन के वजन का 6 प्रतिशत – 8 प्रतिशत) का उपयोग किया जा रहा है। PMGSY-I, PMGSY-II और PMGSY-III के तहत कुल 1,031 सड़कों (4,160.972 किमी की कुल लंबाई के साथ) को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 804 सड़कें (2,681.073 किमी की कुल लंबाई के साथ) पूरी हो चुकी हैं।

इथेनॉल उत्पादन इकाई

30 KLPD (किलोलीटर प्रति दिन) की न्यूनतम क्षमता विस्तार के साथ एक नई डिस्टिलरी/इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए और 15 KLPD की न्यूनतम क्षमता विस्तार के साथ मौजूदा इथेनॉल इकाई के विस्तार के लिए स्थाई पूंजी निवेश पर 20 प्रतिशत या 5 करोड़ रुपये की राशि, जो भी कम हो, का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार 10 मेगावाट की नवीन सह-उत्पादन विद्युत इकाई की स्थापना एवं न्यूनतम 5 मेगावाट क्षमता विस्तार वाली विद्यमान सह-उत्पादन विद्युत उत्पादन इकाई के विस्तार हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 20 प्रतिशत अथवा 15 करोड़ रुपये की राशि, जो भी कम हो, का अनुदान दिया जायेगा।

गंगा जल आपूर्ति योजना

यह योजना राजगीर, गया, बोधगया और नवादा शहरों में जल-जीवन-हरियाली अभियान का हिस्सा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पेयजल उपलब्ध कराना और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है। इसमें नए जल स्रोतों का निर्माण, साथ ही पानी की कमी का सामना कर रहे क्षेत्रों में गंगा नदी से पानी का स्थानांतरण, भंडारण और उपचार शामिल है। राजगीर, गया और बोधगया में पानी की आपूर्ति पहले ही शुरू हो चुकी है, और

योजना का उद्देश्य वर्ष 2023 तक नवादा शहर में पीने के पानी के प्रावधान का विस्तार करना है। यह योजना इन जिलों में गिरते भूजल स्तर को भरने में योगदान देगी।

‘गयाजी’ रबर डैम

विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने 334.38 करोड़ रुपये की लागत वाली एक आधुनिक रबर बांध परियोजना शुरू की है। इस पहल के परिणामस्वरूप, विशेष रूप से विष्णुपद मंदिर के सामने, फल्गु नदी में पूरे वर्ष न्यूनतम पानी की गहराई 2 फीट हो गई है। लगभग एक साल पहले सितंबर 2022 में इसका कार्य पूर्ण हुआ, इस परियोजना में नवीनतम तकनीक का उपयोग किया और राज्य में अपनी तरह का पहला होने का गौरव प्राप्त किया है। इसके स्थानीय महत्व को दर्शाते हुए इसे गयाजी बांध का नाम दिया गया है। इस योजना से जल संचयन तथा पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भूजल स्तर को भी सुधारने में सहायता मिलेगी।

वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजना

राज्य में वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजना से सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर आंकी गई थी। मार्च 2022 तक कुल 37.217 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण हो चुका था। वर्ष 2022-23 में 16,540 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता जोड़ने की अनुमानित संभावना है। इससे मार्च 2023 तक कुल सिंचाई क्षमता 37.3824 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। साथ ही वर्ष 2023-24 के लिए 159.75 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है।

अत्यधिक गाद के कारण हिमालय से बहने वाली नदियों से जुड़ी सिंचाई प्रणालियों को महत्वपूर्ण क्षरण का सामना करना पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 84 हजार हेक्टेयर भूमि में द्रुत सिंचाई क्षमता को पुनः स्थापित किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए कुल 215 हजार हेक्टेयर भूमि में नष्ट हो चुकी सिंचाई क्षमता को बहाल करने का लक्ष्य है।

7-निश्चय 2 के तहत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम

राज्य सरकार के 7-निश्चय फेज 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी कम समय में अधिक उपलब्धि प्राप्त करने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण के बाद योजना की पहचान और चयन करने के

लिए एक राज्यव्यापी अभियान शामिल है। लगभग छह महीने की अवधि के भीतर, कुल 29,952 योजनाओं को सावधानीपूर्वक चुना गया। इन चयनित योजनाओं को राज्य सरकार के पांच अलग-अलग विभागों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, जिसके कार्यान्वयन के लिए लगभग 6,504 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय आवंटित किया गया है। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप 7,79,201 हेक्टेयर के विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

बाढ़ सुरक्षात्मक एवं जल निकासी योजना

बाढ़ 2022 के पूर्व, तटबंधों को सुरक्षित रखने के लिए 320 बाढ़ सुरक्षाध्मन उपायों को लागू किया गया था। RMBA (प्रतिबंधित क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य) कार्यक्रम के तहत 33 बाढ़ सुरक्षा उपायों को पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि से 96 कार्य पूर्ण किए गए।

टाल क्षेत्र विकास योजना

राज्य सरकार द्वारा नालंदा, शेखपुरा और लखीसराय जिलों को शामिल करते हुए टाल क्षेत्र में जल संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। इस व्यापक योजना में 108 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण, 28 वीयर और 15 चेक बांधों की स्थापना के साथ-साथ 74 पड़न की गाद निकालने और 52 बॉक्स कल्वर्ट के निर्माण पर जोर दिया गया है। इस योजना में मछली और जलीय उत्पादन की सुविधा के लिए टाल क्षेत्र में मौजूदा जल निकायों को गहरा

किया जाएगा। साथ ही टाल क्षेत्र में छोटे स्थानीय तालाबों का उपयोग कर जल निकासी व्यवस्था की दक्षता बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे। इन ठोस प्रयासों का उद्देश्य आर्थिक रूप से कुशल तरीके से सतही और भूजल संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके 215 प्रतिशत से अधिक की फसल सघनता हासिल करना है।

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना

आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (2020-2025) के तहत सरकार ने राज्य में स्थित चौर क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर विकसित करने का संकल्प लिया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में उपलब्ध अविकसित एवं अप्रयुक्त निजी चौर भूमि का विकास कर मत्स्य पालन को उपयुक्त बनाने का लक्ष्य है। चौर संसाधनों में मत्स्य पालन के साथ-साथ कृषि, बागवानी और कृषि-वानिकी के अभिसरण से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। चिह्नित की गई योजनाओं में तालाबों का निर्माण, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, तालाब मत्स्य पालन का विकास, एकीकृत चौर विकास, जलाशय मत्स्य पालन का विकास, आर्द्रभूमि में बाड़े/पिंजरे लगाना आदि महत्वपूर्ण हैं।

बिहार राज्य जल विद्युत निगम

बिहार सरकार ने उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, जो या तो 50 प्रतिशत या अधिक काम पूरा कर चुके हैं या जिनकी उत्पादन लागत 5.00 रुपये प्रति यूनिट से कम है। इन परियोजनाओं में, 12 निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं, जिनमें 11 लघु जलविद्युत परियोजनाएं हैं और एक डेहरी (4x1.65MW) SHP के लिए जल निकास व्यवस्था है। कार्य के निष्पादन के लिए बिहार राज्य जल विद्युत निगम (BSHPC) को वित्त वर्ष 2022-23 तक कुल 20.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 44.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी, और इसके लिए एक मांग की गई है।

सोन नहर प्रणाली, गंडक नहर प्रणाली और कोसी

नहर प्रणाली पर वर्तमान में 54.3 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ 13 परिचालन पनबिजली परियोजनाएं हैं। 2023–2024 के दौरान इन परियोजनाओं से उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए डेहरी, बारुन परियोजना को जल्द से जल्द और न्यूनतम खर्च पर बहाल करना प्राथमिकता है।

ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र

जल-जीवन हरियाली अभियान कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य में सरकारी भवनों पर कुल 55 MWp की क्षमता वाले ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना को सहयोग देने के लिए राज्य मद से 304.32 करोड़ रुपये की राशि प्रावधानित है। इसके अतिरिक्त, 3.1 MWp ऑफ-ग्रिड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को ग्रिड कनेक्टेड/हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट में बदलने की योजना है। इसमें नेट-मीटरिंग के कार्यान्वयन के साथ व्यापक रखरखाव अनुबंध (सीएमसी) के तहत 5 साल की अवधि के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र का रखरखाव और मरम्मत शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल परियोजना लागत 11.47 करोड़ रुपये अनुमानित है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

इस योजना में जल संरक्षण प्रयासों को शामिल किया गया है, जिसमें सार्वजनिक तालाबों की बहाली, निजी भूमि पर टैंक-आधारित वर्षा जल संचयन, और छोटे पैमाने पर नदी की जल निकासी शामिल है, जिसका उद्देश्य प्रभावी जल संरक्षण को बढ़ावा देना है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चरण II और स्वच्छ भारत मिशन चरण II

7 निश्चय-2 में 'स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव' के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ "सक्षम बिहार" और "स्वावलम्बी बिहार" कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण में

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने का प्रावधान है एवं राज्य के युवाओं को कौशल विकास एवं नियोजन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

हर घर नल का जल

लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग अपनी प्रस्तावित एवं चल रही परियोजनाओं में पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री के उपयोग को प्राथमिकता दे रहा है। इस तरह का कार्य हर घर नल का जल योजना की शुरुआत के बाद से लागू की गई है, जिसका उद्देश्य हर घर में पाइप से पानी की आपूर्ति करना है। योजना के हिस्से के रूप में, परियोजना स्थलों में और उसके आसपास वृक्षारोपण पर भी जोर दिया गया है।

तालिका 10-विभागवार हरित बजट विवरण
बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023-24

(राशि लाख रु0 में)

क्र.	विषय कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग							
1	19-2406011010109 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	622.26		0.01	0.01	वर्तमान में बजट उपबंध नहीं है। पुनर्विनियोग से राशि प्राप्त कर पूर्व से स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत पौधों का सम्मोषण कार्य किया जाएगा।	संघारणीय भूमि उपयोग जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन
2	19-2406017890101 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	1457.60	1200.00				
3	19-2406017960103 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	444.26					
4	19-2406011010112 प्राकृतिक वनों का विकास		2182.00	9989.97	9989.97	अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण तथा मृदा जल संरक्षण कार्य किया जाएगा।	
5	19-2406017890105 प्राकृतिक वनों का विकास		1800.00				
6	19-2406017960135 प्राकृतिक वनों का विकास		518.00				जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी संघारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 2 एस डी जी 11 एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन
7	19-2406018000101 नहर तट फार्म	922.13		0.01	0.01	वर्तमान में बजट उपबंध नहीं है। पुनर्विनियोग से राशि प्राप्त कर पूर्व से स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत पौधों का सम्मोषण कार्य किया जाएगा।	
8	19-2406017890102 नहर तट फार्म	225.13	650.00				
9	19-2406018000105 पथ तट फार्म	2228.19		0.01	0.01	राज्य के पथ तटों पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। शहरी वानिकी, आगम-निर्गम पथ के अंतर्गत जिला/अनुमंडल/ प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली संडक पर वृक्ष लगाए जाएंगे। कृषि वानिकी अंतर्गत किसानों द्वारा पौधशाला स्थापित करना तथा उनके द्वारा रैयति भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पार्क का विकास किया जाएगा। पौधों का संपोषण कार्य किया जाएगा। पौधशाला में पौधे उगाए जा रहे हैं, जिनका संपोषण किया जाएगा।	
10	19-2406017890103 पथ तट फार्म	1195.56	853.00				
11	19-2406011020109 प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी		4593.00	10000.00	10000.00	अधिसूचित वनभूमि पर बाहर पथ, नहर, नदी तट किनारे वृक्षारोपण, शहरी वानिकी अन्तर्गत पौधारोपण कार्य किया जाएगा।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी संघारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 11 एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन
12	19-2406017890106 प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी		1800.00				
13	19-2406011010111 जल जीवन हरियाली	6283.47	8000.00	10000.00	10000.00	कृषि रोड मैप अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कार्य सम्पादित किया जाएगा।	

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग							
14	19-2406021120101 इको पर्यटन एवं पार्क का विकास	244.28	8012.30	10000.00	10000.00	इको पर्यटन एवं पार्क विकास कार्य अन्तर्गत नये पार्कों का विकास एवं रख-रखाव कार्य किया जाएगा।	हरित अर्थव्यवस्था हरित अधिसंरचना एस डी जी 11 एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
15	19-2406027890102 इको पर्यटन एवं पार्क का विकास		1982.00				वायु एवं जल प्रदूषण उन्मूलन अपशिष्ट प्रबंधन एस डी जी 11 एस डी जी 13 कार्यक्रम कार्यान्वयन विनियमन एवं प्रवर्तन
16	19-2406011050104 प्रदूषण नियंत्रण फंड	441.12	1200.00	1000.00	1000.00	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण फंड के लिए अनुदान की राशि से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करेंगे। इस योजना से सभी जिलों में प्रबंधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।	हरित अधिसंरचना एस डी जी 15 निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
17	19-4406010700102 भवन	7095.66	3500.00	3500.00	3500.00	अधिसूचित वनभूमि के अंदर वनागार, विश्रामागार, कार्यालय तथा आवास का निर्माण कार्य कराया जाएगा।	हरित अधिसंरचना एस डी जी 15 निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
18	19-4406010700101 सड़क और पुल	262.68	500.00	500.00	500.00	राज्य के वन क्षेत्रों में उपलब्ध वन पथों का मरम्ती कार्य किया जाएगा जो वन क्षेत्रों में गश्ती में सहायक होगा तथा वनों को सुरक्षा प्रदान करेगा।	हरित अधिसंरचना एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
19	19-2406021100121 वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	233.09	700.00	500.00	500.00	राज्य के विभिन्न वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्रों में वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्द्धन कार्य।	जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन
20	19-2406011050105 प्लॉट टिशू कल्चर लैब	66.00	200.00	200.00	200.00	प्लॉट टिशू कल्चर लैब की स्थापना एवं विकास कार्य किये जाएंगे। जिससे अच्छी गुणवत्ता के पौधे का उपयोग वृक्षरोपण कार्य में किया जाएगा।	हरित अधिसंरचना एस डी जी 2 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुसंधान एवं विकास

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रारंभिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग							
21	19-2406021100324 बाघ परियोजना	384.84	604.70	304.30	304.30	वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों के संरक्षण एवं उनके अधिवास संवर्द्धन के कार्य किए जाएंगे।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
22	19-2406021100326 गज परियोजना	11.17	63.03	66.80	66.80	राज्य के अंतर्गत हाथियों के अधिवास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु वनों के अंदर कार्य किया जाएगा।	
23	19-2406021100323 एकीकृत वन्यजीव पर्यावरण विकास	19.26	591.80	744.00	744.00	वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किये जाएंगे।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी एस डी जी 14 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
24	19-2406021100327 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना		49.50			इस योजनांतर्गत जलीय जीवों के अधिवास प्रबंधन एवं उनके संरक्षण के उपाय किए जाएंगे।	
25	19-2406041010304 समेकित वन प्रबंधन	75.87	200.00	407.90	407.90	प्राकृतिक वनों में अग्नि से सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य हेतु ढाँचागत सुदृढीकरण के कार्य किए जाएंगे।	हरित अधिसंरचना एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन
26	19-2406041010305 राष्ट्रीय बांस मिशन		35.00				प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी संधारणीय भूमि उपयोग
27	19-2406047890301 राष्ट्रीय बांस मिशन		25.00			इस योजना के अंतर्गत बांस प्रजाति के पौधों का उत्पादन, पौधशालाओं का विकास और बांस आधारित वस्तुओं के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाएगा।	एस डी जी 2 एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
28	19-2406047960301 राष्ट्रीय बांस मिशन		15.00				हरित अर्थव्यवस्था जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी
29	19-2406041010301 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम		170.97			राज्य के अधिसूचित वनों में जन सहयोग के माध्यम से वनों की गुणवत्ता सुधारने एवं स्थानीय समुदायों की आमदनी बढ़ाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।	एस डी जी 8 एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रारंभिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग							
30	19-2406021100224 बाघ परियोजना	413.57	1751.00	913.00	913.00	वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों एवं उनके अधिवास के संवर्द्धन के कार्य किए जाएंगे।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
31	19-2406021100226 गज परियोजना	17.65	516.65	199.00	199.00	राज्य के अंतर्गत हाथियों के अधिवास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु वनों के अंदर कार्य किए जाएंगे।	
32	19-2406021100223 एकीकृत वन्यजीव पर्यावास मिशन	28.91	1309.40	2233.00	2233.00	वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किये जाएंगे।	
33	19-2406021100227 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना		496.00			इस योजनान्तर्गत जलीय पौधों के अधिवास प्रबंधन एवं उनके संरक्षण के उपाए किये जाते हैं।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी एस डी जी 14 कार्यक्रम कार्यान्वयनप्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
34	19-2406041010204 समेकित वन प्रबंधन	120.60	721.75	1224.00	1224.00	प्राकृतिक वनों में अग्नि से सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य हेतु ढाँचागत सुदृढीकरण के कार्य किए जाएंगे।	हरित अधिसंरचना एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन
35	19-2406041010205 राष्ट्रीय बांस मिशन		474.00				प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी संधारणीय भूमि उपयोग
36	19-2406047890201 राष्ट्रीय बांस मिशन		459.00			इस योजना के अंतर्गत बांस प्रजाति के पौधों का उत्पादन, पौधालाओं का विकास और बांस आधारित वस्तुओं के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाएगा।	एस डी जी 2 एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
37	19-2406047960201 राष्ट्रीय बांस मिशन		444.00				हरित अर्थव्यवस्था जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी
38	19-2406041010201 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम		678.20			राज्य के अधिसूचित वनों में जन सहयोग के माध्यम से वनों की गुणवत्ता सुधारने एवं स्थानीय समुदायों की आमदनी बढ़ाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।	एस डी जी 8 एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान			
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)								
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग								
39	19-2406010010001 निर्देशन और प्रशासन	1808.05	2234.03	2306.78	2306.78	2306.78	मुख्यालय सहित 15 कार्यालयों में स्थाई पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं सविदा पर नियोजित कर्मी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है इसके अलावा कार्यालय व्यय, वाहन का इंधन एवं रख रखाव, दूरभाष, विद्युत, अनुसंधान इत्यादि पर व्यय किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 8 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
40	19-2406010030001 प्रशिक्षण, जनसम्पर्क एवं शोध हेतु	387.23	600.71	701.26	701.26	701.26	इस उपशीर्ष से प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार का कार्य किया जाता है एवं राज्य वन प्रशिक्षण केन्द्र, गया में वनरक्षी, वनपाल के प्रशिक्षण कार्य पर व्यय किया जाता है तथा 2 कार्यालयों में स्थाई पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं सविदा पर नियोजित कर्मी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 8 कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
41	19-2406010700001 सड़क एवं पुल	326.14	400.00	400.00	400.00	400.00	2030 कि०मी० वन पथ का रख-रखाव पर व्यय किया जाता है।	हरित अधिसंरचना एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
42	19-2406010700002 भवन	403.88	420.00	420.00	420.00	420.00	786 विभागीय भवन का रख-रखाव पर व्यय किया जाता है।	हरित अधिसंरचना एस डी जी 9 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
43	19-2406011010001 बनों का विस्तार उन्नति एवं सुरक्षा	10746.65	14436.68	16968.52	16968.52	16968.52	इस उपशीर्ष में बिहार से 27 वन प्रमण्डलों के स्थायी पौधशाला एवं उसके रख रखाव पर व्यय तथा कार्यालयों के स्थायी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं सविदा पर नियोजित कर्मी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है। इसके अलावा कार्यालय व्यय, वाहन का इंधन एवं रख रखाव, दूरभाष, विद्युत अनुसंधान इत्यादि पर व्यय किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 8 एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
44	19-2406011010002 वर्किंग प्लान प्रमण्डल	100.61	134.32	145.46	145.46	145.46	इस उपशीर्ष में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत प्रत्येक वन प्रमण्डल हेतु दस वर्षों के लिए कार्य योजना तैयार करने संबंधित कार्यों पर व्यय किया जाता है एवं स्थाई पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं सविदा पर नियोजित कर्मी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 8 कार्यक्रम कार्यान्वयन

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान			
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)								
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग								
45	19-2406021100003 अमरापुर	657.98	1096.62	1287.56	1287.56		इस उपशीर्ष में वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष प्रमण्डल-1 एवं 2 के बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्य एवं कार्यालयों में स्थाई पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं सविदा पर नियोजित कर्मी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, कम्प्युटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 8 कार्यक्रम कार्यान्वयन
46	19-2406021100001 अन्य उद्यान	1646.15	2276.60	2824.06	2824.06		इस उपशीर्ष में संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना के 153 एकड़ में फले उद्यान में केना गार्डन, मैंगो गार्डन, गुलाब गार्डन, औषधी गार्डन, फर्न गार्डन, ओकिंड घर, रोड के किनारे हेज तथा दो बड़े दूब घास गार्डन का रख रखाव किया जाता है। इसके अतिरिक्त टिकट खिड़की, ट्रेन का परिचालन, ट्रेन ट्रैक का रख-रखाव, शिशु उद्यान का रख-रखाव, मछली घर का रख-रखाव, जल उद्यान के रख रखाव के साथ-साथ पूरे उद्यान में घास की कटाई एवं प्रतिदिन साफ-सफाई का कार्य किया जाता है। उद्यान के अंदर अवस्थित 45 केजों में 600 जानवरों का आहार, चारा पहुंचाना एवं केज की सफाई आदि का कार्य प्रतिदिन किया जाता है। उद्यान में सौंदर्यीकरण हेतु मौसमी एवं वार्षिक फलों के पौधों का आवश्यकतानुसार रोपण किया जाता है। इसके साथ-साथ उद्यान की सुरक्षा का कार्य भी किया जाता है एवं राजगीर जू सफारी, नालंदा के जानवरों के आहार आदि पर व्यय तथा दोनों कार्यालयों में स्थायी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि तथा सविदा पर रखे गए वन्यप्राणी रेस्क्यू टीम तथा कम्प्युटर ऑपरेटर एवं वाहन चालक के वेतन भुगतान किया जाता है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
47	19-3435041030001 बिहार राज्य पर्यावरण समाघात प्राधिकरण	68.98	75.00	81.00	81.00		इस उपशीर्ष से विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं का पर्यावरण स्वीकृति श्रेया भवन निर्माण, खनन कार्य आदि तथा बिहार राज्य पर्यावरण समाघात प्राधिकरण के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि भुगतान किया जाता है।	संघारणीय भूमि उपयोग हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 8 एस डी जी 9 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन
48	19-3435031020001 बिहार राज्य जैव विविधिता पर्वद्	294.19	456.75	467.03	467.03		इस उप शीर्ष में उपककपमतेपजल बज के तहत गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियां (Biodiversity Management Committee) एवं जैव विविधिता पंजी (Public Biodiversity Register) का निर्माण करना है एवं बिहार राज्य जैव विविधिता पर्वद् के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि का भुगतान किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 8 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना अनुसंधान एवं विकास
योगफल		39233.16	68426.01	77383.67	77383.67			

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य		पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
उद्योग विभाग							
1	23-2852801020110 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार					माननीय एनजीटी द्वारा न्यायालय में दायर वाद के आलोक में हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में कॉमन एप्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईपीटी) की स्थापना की जानी है। सीईटीपी निर्माण का कार्य नोडल एजेंसी बियाड़ा द्वारा कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस मद के लिए बजटीय प्रावधान शून्य है। सिडबी से प्राप्त ऋण के तहत क्लस्टर विकास निधि के तहत बियाड़ा द्वारा कॉमन एप्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।	हरित अधिसंरचना अपशिष्ट प्रबंधन वायु एवं जल प्रदूषण उन्मूलन एस डी जी 6 एस डी जी 9 एस डी जी 12 निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
योगफल		0.00	0.00	0.00	0.00		
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग							
1	36-4215011020103 जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परियोजना	1273.09	2075.00	4200.00	4200.00	कुँओं का जिर्णोद्धार एवं सोख्ता निर्माण कार्य	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अधिसंरचना एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
2	36-4215017890111 जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परियोजना	330.01	400.00	800.00	800.00		
3	36-4215017960107 जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परियोजना	28.11	25.00				
योगफल		1631.21	2500.00	5000.00	5000.00		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रारंभिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
ऊर्जा विभाग							
1	10-6801002010101 बिहार राज्य जल विद्युत निगम (पनबिजली उत्पादन)	12.89	1000.00	2000.00	2000.00	रिस्ट्रिक्शन के बाद परियोजना अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करेगा। इससे ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन क्रेडिट में वृद्धि एवं प्रदूषण में कमी और पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। बिहार को 160 मेवा0 विद्युत मिलेगा। इससे ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन क्रेडिट में वृद्धि एवं प्रदूषण में कमी और पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। बिहार को 20 मे0वा0 विद्युत मिलेगा। इससे ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन क्रेडिट में वृद्धि एवं प्रदूषण में कमी और पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। बिहार को 120 मे0वा0 विद्युत मिलेगा। इससे ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन क्रेडिट में वृद्धि एवं प्रदूषण में कमी और पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। स्थिर विद्युत निकासी स्कीम के पश्चात परियोजनाओं में विद्युत बाधा नहीं उत्पन्न होगा। इससे ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन क्रेडिट में वृद्धि एवं प्रदूषण में कमी और पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एस डी जी 7 एस डी जी 13 अनुदान निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना अनुसंधान एवं विकास
2	10-2810606000101 अपरपरागत उर्जा श्रोत	5000.00				ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा, कार्बन क्रेडिट में वृद्धि एवं प्रदूषण में कमी आयेगी जिसके फलस्वरूप पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही ग्रीड पर ऊर्जा की निरंतरता को कम किया जा सकेगा। साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में सहायक होगा।	
3	10-2810001040101 अपरपरागत उर्जा श्रोत		5000.00	5000.00	5000.00		
योगफल		5012.89	6000.00	7000.00	7000.00		
स्वास्थ्य विभाग							
1	20-4210011100118 जल-जीवन-हरियाली	63.60	500.00	500.00	500.00	वर्षा जल संचयन एवं हरित संरचना।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन
योगफल		63.60	500.00	500.00	500.00		

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान			
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)								
ग्रामीण विकास विभाग								
1	42-2215021050103 लोहिया स्वच्छता योजना-1		1.00				वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट का प्रावधान नहीं किया गया है।	अपशिष्ट प्रबंधन वायु एवं जल प्रदूषण उन्मूलन एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
2	42-2215021050104 लोहिया स्वच्छता योजना-2		4700.00					
3	42-2215021050202 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)		63200.00	117156.00		117156.00	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 'स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव' का संकल्प लिया गया है। इस के तहत 'खुले में शौच से मुक्ति' (ओडीएफ) का स्थायित्व बनाये रखते हुये चरणबद्ध तरीके से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को "ओडीएफ-प्लस" बनाया जाना लक्षित है।	
4	42-2215021050302 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	6000.00	11850.00	19500.00		19500.00		
5	42-2215017890204 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	2868.05	16000.00	30040.00		30040.00		
6	42-2215027890304 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	s	3000.00	5000.00		5000.00		
7	42-2215027960206 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	179.22	800.00	3004.00		3004.00		
8	42-2215027960306 स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	119.48	150.00	500.00		500.00		
9	42-2515000010110 जल-जीवन-हरियाली		900.00	1071.00		1071.00	जल-जीवन-हरियाली अभियान को मिशन मोड में लागू करने, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं अनुश्रवण करने के लिए मिशन का गठन किया गया है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एस डी जी 6 एस डी जी 13 एस डी जी 15 शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
10	42-2220601010101 जल-जीवन-हरियाली जागरूकता		100.00	100.00		100.00	इसके अंतर्गत जल-जीवन-हरियाली अभियान से लोगों को जागरूक करना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एस डी जी 6 एस डी जी 13 एस डी जी 15 शिक्षा एवं जागरूकता
योगफल				11078.78	100701.00	176371.00	176371.00	
परिवहन विभाग								
1	47-3055001900104 बिहार स्वच्छ ईंधन योजना	199.80	1500.00	2500.00		2500.00	वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु डीजल/पेट्रोल चालित वाहनों को सी0एन0जी0 में सम्परिवर्तित हेतु सस्तिडी।	हरित अधिसंरचना वायु एवं जल प्रदूषण उन्मूलन एस डी जी 11 एस डी जी 13 कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदान
योगफल				199.80	1500.00	2500.00	2500.00	

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' - हरित बजट अनुमान 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
लघु जल संसाधन विभाग							
1	50-4702001010106 हर खेत तक सिंचाई का पानी	1489.70	16600.00	28220.00	28220.00	सात निश्चय-2 के तहत हर खेत तक सिंचाई हेतु पानी पहुँचाने का लक्ष्य है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एस डी जी 2 एस डी जी 6 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
	50-4702007890106 हर खेत तक सिंचाई का पानी	258.35	3200.00	5440.00	5440.00		
	50-4702007960107 हर खेत तक सिंचाई का पानी	11.69	200.00	340.00	340.00		
4	50-4702001020102 सतही जल योजना	2143.18	1660.00	1660.00	1660.00	जल संरक्षण/भू-जल पुनर्भरण मृदा अपरदन से सुरक्षा। सतही योजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य एवं आहर/पड़न/तालाब बांध के पुनरुद्धार पर राशि व्यय की जानी है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अधिसंरचना एस डी जी 2 एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
5	50-4702007890104 सतही जल योजना	326.05	320.00	320.00	320.00		
6	50-4702007960105 सतही जल योजना	13.51	20.00	20.00	20.00		
7	50-4702001020107 जल जीवन हरियाली	18045.21	39840.00	23240.00	23240.00	जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत पुरे राज्य में एक एकड़ से बड़े रकवा वाले आहार-पड़न तथा 5 एकड़ से बड़े रकवा वाले तालब का जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है।	हरित अधिसंरचना एस डी जी 2 एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
8	50-4702007890105 जल जीवन हरियाली	3033.78	7680.00	4480.00	4480.00		
9	50-4702007960106 जल जीवन हरियाली	133.17	480.00	280.00	280.00		
10	50-4702001010205 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	737.37	20750.00	8300.00	8300.00	आहर/पड़न एवं बांध का पुनरुद्धार किया जाना है।	हरित अधिसंरचना एस डी जी 2 एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
11	50-4702007890205 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	135.06	4000.00	1600.00	1600.00		
12	50-4702007960206 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	7.06	250.00	100.00	100.00		
13	50-4702001010305 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	501.30	1660.00	2766.39	2766.39		
14	50-4702007890305 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	89.00	320.00	533.28	533.28		
15	50-4702007960306 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	3.32	20.00	33.33	33.33		
योगफल		26927.75	97000.00	77333.00	77333.00		

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
नगर विकास एवं आवास विभाग							
1	48-2217030510201 हर घर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना (SBM)		19010.00	48198.00	48198.00	स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं शहरी निकायों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ है। इससे पर्यावरण को स्वच्छ एवं रोग मुक्त बनाने में सफलता मिलेगी।	अपशिष्ट प्रबंधन वायु एवं जल प्रदूषण उन्मूलन एस डी जी 6 एस डी जी 11 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
2	48-2217030510301 हर घर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना (SBM)		10000.00	10000.00	10000.00		
3	48-2215021050101 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन		21691.00	12100.00	12100.00	सात निश्चय-2 के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अन्तर्गत नगर निकायों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट का अगल-अलग वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जायेगा, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करेगा।	अपशिष्ट प्रबंधन वायु एवं जल प्रदूषण उन्मूलन एस डी जी 6 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
4	48-2215027890104 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन		100.00	199.97	199.97		
5	48-2215027960106 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन		100.00	100.00	100.00		
योगफल		0.00	50901.00	70597.97	70597.97		
भवन निर्माण विभाग							
1	03-2059800530013 आवासीय/ गैर-आवासीय उद्यानों/पार्कों का रख-रखाव एवं जीर्णोद्धार	702.53	983.00	1000.00	1000.00	उद्यान प्रमंडल द्वारा राजधानी क्षेत्र में विभिन्न आवासीय एवं गैर आवासीय परिसरों में संभरित पार्कों में मौसमी पौधों को लगाया जाता है तथा पूर्व से मौजूद हरित क्षेत्र (वृक्ष आदि सहित) का रख-रखाव किया जाता है। इस प्रकार राजधानी क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन एवं प्रदूषण स्तर को संतुलित बनाए रखने में इन पार्कों का महत्वपूर्ण योगदान है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन
2	03-4406010510101 वाणिकी महाविद्यालय	7000.00	3452.56			वाणिकी महाविद्यालय, मुंगेर राज्य में वनों के विस्तार एवं वृक्षारोपण सहित हरित पट्टी के विस्तार, वन्य जीवों के संरक्षण आदि कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक आधारभूत संरचना उपलब्ध करा रहा है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर विद्यार्थी/ पदाधिकारी हरित क्षेत्र के विकास, पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण आदि में बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार इस संस्थान का हरित क्षेत्र के विकास, पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण आदि में परीक्ष/अपरीक्ष रूप से बहुमूल्य योगदान है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 15 प्रौद्योगिकी एवं अवसरवना शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
3	03-4406010510102 डॉल्लिन रिसर्च सेंटर		1000.00			डॉल्लिन को राज्य सरकार द्वारा राज्य के जलीय जीव के रूप में पहचान दी गई है। डॉल्लिन रिसर्च सेंटर को डॉल्लिन के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है। इस रिसर्च सेंटर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इकोलॉजी, रिवर इकोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एवं रिवर बायोलॉजी के शोध को	जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी एस डी जी 15 प्रौद्योगिकी एवं अवसरवना अनुसंधान एवं विकास
योगफल		7702.53	5435.56	1000.00	1000.00		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान			
श्रेणी 'A' - हरित बजट अनुमान 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)								
कृषि विभाग								
1	01-2401001090122 फसल कृषि कर्म	2167.76	8300.00	2358.00	2358.00	सात निश्चय-2 के तहत हर खेत तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने का लक्ष्य है।	संघारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 2 एस डी जी 6 अनुदान निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना	
2	01-2401007890152 फसल कृषि कर्म	416.00	1600.00	600.00	600.00			
3	01-2401007960174 फसल कृषि कर्म	41.00	100.00	42.00	42.00			
योगफल		2624.76	10000.00	3000.00	3000.00			
पशु एवं मत्स्य संसाधन								
1	02-2404000030101 प्रशिक्षण		253.00			मत्स्य किसानों के जागरूकता हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाना है।	हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 2 एस डी जी 6 शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन	
योगफल		0.00	253.00	0.00	0.00			
गन्ना उद्योग विभाग								
1	45-2401001080109 ईख विकास/मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम	970.65	2173.45	3320.00	3320.00	इस योजना के कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य गन्ना के उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ-साथ योजना के तहत पानी कम जरूरत वाले गन्ना के चयनित प्रभेदों की खेती को बढ़ावा दिया जाना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संघारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 2 एस डी जी 6 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुसंधान एवं विकास	
2	45-2401007890108 ईख विकास/मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम	8.85	418.97	640.00	640.00			
3	45-2401007960129 ईख विकास/मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम	7.58	26.18	40.00	40.00			

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रारंभिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान			
श्रेणी 'A' - हरित बजट अनुमान 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)								
गन्ना उद्योग विभाग								
4	45-2852082010103 चीनी मिलों को आर्थिक सहायता	1065.35	4980.00	4980.00	4980.00	विभागीय प्रोत्साहन पैकेज -2014 के अन्तर्गत इथेनॉल उत्पादन हेतु डिस्टिलरी की स्थापना / क्षमता विस्तार हेतु अधिकतम 5.00 करोड़ रु0 अनुदान का प्रावधान है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अधिसंरचना एस डी जी 2 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना अनुदान निवेश	
5	45-2852087890101 चीनी मिलों को आर्थिक सहायता		960.00	960.00	960.00			
6	45-2852087960102 चीनी मिलों को आर्थिक सहायता		60.00	60.00	60.00			
योगफल		2052.43	8618.60	10000.00	10000.00			
100 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान		96526.91	351835.17	430685.64	430685.64			
श्रेणी 'B' - हरित बजट अनुमान 90 से 75 प्रतिशत (अति उच्च)								
नगर विकास एवं आवास विभाग								
1	48-2215011910106 जल-जीवन-हरियाली		675.00	700.00	630.00	जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत तालाब/पोखर की उड़ाही का कार्य कराया जाता है। साथ ही, कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य भी कराया जाता है और सोखटा निर्माण भी इस मद के अन्तर्गत कराया जाता है जो जल संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देता है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अधिसंरचना एस डी जी 6 एस डी जी 11 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना	
2	48-2215011920103 जल-जीवन-हरियाली	32.60	787.50	700.00	630.00			
3	48-2215011930102 जल-जीवन-हरियाली	190.33	787.50	700.00	630.00			
4	48-2217011910124 विशेष स्वच्छता अनुदान	1797.32	1840.00	2000.00	1600.00	स्वच्छता अनुदान मद के तहत स्वच्छता सामग्री की खरीद की जाती है तथा घर-घर से कचरा उठाने के लिए राशि आवंटित की जाती है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करती है।	अपशिष्ट प्रबंधन वायु एवं जल प्रदूषण उन्मूलन एस डी जी 6 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन	
5	48-2217031920114 विशेष स्वच्छता अनुदान	1599.39	1600.00	500.00	400.00			
6	48-2217031930113 विशेष स्वच्छता अनुदान	1141.60	1360.00	500.00	400.00			
योगफल		4761.24	7050.00	5100.00	4290.00			

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'B' – हरित बजट अनुमान 90 से 75 प्रतिशत (अति उच्च)							
कृषि विभाग							
1	01-2401001040205 परम्परागत कृषि विकास योजना	580.65	4145.00			इस योजना के तहत प्राकृतिक संसाधन आधारित प्रभावशाली टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना जो मिट्टी की उर्वरता के रख-रखाव और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, खेत पर पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करना और बाहरी उत्पादनों पर किसानों की निर्भरता को कम करना है।	जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन संधारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 2 निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
2	01-2401001040305 परम्परागत कृषि विकास योजना		1034.00				
3	01-2401007890341 परम्परागत कृषि विकास योजना						
4	01-2401007960363 परम्परागत कृषि विकास योजना	4.83	28.00				
5	01-2402001020313 एकीकृत जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	643.00	4652.00	1958.49	1469.00	पक्का चेतक डैम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जीर्णोद्धार, मेड़बोदी, स्टैचुगार्ड, ट्रेच एवं पौधा रोपण आदि।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अधिसंरचना एस डी जी 6 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
6	01-2401007890241 सहभागिता प्रतिपूर्ति प्रणाली पद्धति के तहत जैविक खेती					सहभागिता प्रतिपूर्ति प्रणाली (Participatory Guarantee System) पद्धति के तहत जैविक खेती	जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन संधारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 2 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
7	01-2401007960263 सहभागिता प्रतिपूर्ति प्रणाली पद्धति के तहत जैविक खेती						
8	01-2401007960231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेबीवाई) (एसीए)	90.99	120.00	735.96	552.00		प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन
9	01-2401001090216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेबीवाई) (एसीए)	4159.79	9960.00			इसके अंतर्गत समूह में पी.जी.एस. प्रमोशन एवं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना है जिससे जैविक खेती के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।	एस डी जी 2 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
10	01-2401001090316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेबीवाई) (एसीए)		4150.00	11281.31	8461.00		
11	01-2401007890303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेबीवाई) (एसीए)	782.70	800.00	4139.73	3105.00		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'B' – हरित बजट अनुमान 90 से 75 प्रतिशत (अति उच्च)							
कृषि विभाग							
12	01-2402007890302 मृदा तथा जल संरक्षण		897.00			पक्का चैक डेम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जिर्णोद्धार, मेड़बन्दी, स्टैबुगार्ड ट्रेंच एवं पौधा रोपन आदि।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अधिसंरचना एस डी जी 6 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
13	01-2402007960309 मृदा तथा जल संरक्षण	24.00	56.00				
14	01-2401007890126 जैविक खेती का उन्नयन					किसानों के बीच जैव एवं कार्बनिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देकर मिट्टी के स्वास्थ्य एवं उर्वरा शक्ति को बढ़ाना एवं जैविक खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।	जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन संघारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 6 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
योगफल		6285.96	25842.00	18115.49	13587.00		
लघु जल संसाधन विभाग							
1	50-4702001010101 लघु सिंचाई	146.95	2147.00	1245.00	933.75		हरित अधिसंरचना संघारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन निवेश प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	50-4702007890101 लघु सिंचाई	28.70	414.00	240.00	180.00	जल संरक्षण/भू-जल पुनर्भरण मृदा अपरदन से सुरक्षा	
3	50-4702007960103 लघु सिंचाई		26.00	15.00	11.25		
योगफल		175.65	2587.00	1500.00	1125.00		
90 से 75 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान		11222.85	35479.00	24715.49	19002.00		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता		
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान				
श्रेणी 'C' – हरित बजट अनुमान 75 से 50 प्रतिशत (उच्च)									
ग्रामीण विकास विभाग									
1	42-2505021010201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	174586.55	143000.00	338200.00	253650.00	इस योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ टिकाऊ परिसम्पत्ति का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार के इच्छुक व्यक्ति द्वारा काम मांगने पर एक वित्तीय वर्ष अंतर्गत 100 दिन का अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है, इसके अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य तालाब, आहर, खेत-पोखर एवं पड़न इत्यादि जल संवयन संरचनाओं का जिनोद्धार किया जाता है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था हरित अधिवस्था एस डी जी 6 एस डी जी 8 एस डी जी 15 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन		
2	42-2505021010301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	54176.90	19500.00	45000.00	33750.00				
योगफल					228763.45	162500.00	383200.00	287400.00	
कृषि विभाग									
1	01-2401007890323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन					खाद्यान्न फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाना, फसलों के क्षेत्रफल का विस्तार, किसानों की आर्थिक दशा को सुदृढ़ करना।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संधारणीय भूमि उपयोग हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 2 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता		
2	01-2401007890359 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन						अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता		
3	01-2401001050106 जैविक खेती का उन्नयन	2843.23	5939.00	5031.74	3522.00		जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन संधारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 2 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता		
4	01-2401007890126 जैविक खेती का उन्नयन	534.01	1145.00	880.34	660.26	किसानों के बीच जैव एवं कार्बनिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देकर मिट्टी के स्वास्थ्य एवं उर्वरा शक्ति को बढ़ाना एवं जैविक खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।	अनुकूलन संधारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 2 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन		
5	01-2401007890148 जैविक खेती का उन्नयन	25.43	72.00	89.62	63.00		अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन		
6	01-2401007890241 परम्परागत कृषि विकास योजना	111.93	799.00			इस योजना के तहत प्राकृतिक संसाधन आधारित प्रभावशाली टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना जो मिट्टी की उर्वरता के रख-रखाव और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, खेत पर पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करना और बाहरी उत्पादनों पर किसानों की निर्भरता को कम करना है।	जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन संधारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 2 निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन		
7	01-2401007890263 परम्परागत कृषि विकास योजना	7.25	50.00						
8	01-2401001040305 परम्परागत कृषि विकास योजना	385.01							
9	01-2401007890341 परम्परागत कृषि विकास योजना	74.62	443.00						

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता	
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान			हरित बजट अनुमान
श्रेणी 'C' – हरित बजट अनुमान 75 से 50 प्रतिशत (उच्च)							
कृषि विभाग							
10	01-2401001050207 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	305.01	3137.00		राज्य के वर्षाश्रित जिला में समेकित कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना।	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एस डी जी 2 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता	
11	01-2401007890238 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	61.07	605.00				
12	01-2401007960258 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	3.57	38.00				
13	01-2401001050307 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	384.00					
14	01-2401007890338 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	73.18	199.00				
15	01-2401007960358 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	4.36	12.00		इसके अंतर्गत समूह में पी.जी.एस. प्रमिक्करण एवं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना है जिससे जैविक खेती के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।	एस डी जी 2 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता	
16	01-2401001090216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०केबी०वाई०) (ए०सी०ए०)			31264.04			23448.00
17	01-2401007890203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०केबी०वाई०) (ए०सी०ए०)	1174.73	1920.00	8000.00			6000.00
18	01-2401001090316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०केबी०वाई०) (ए०सी०ए०)	2732.43					
19	01-2401007890303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०केबी०वाई०) (ए०सी०ए०)	782.70	800.00	4139.73			3105.00
20	01-2401007960331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०केबी०वाई०) (ए०सी०ए०)	60.41	50.00	218.96	164.00	एकवर्षीय और बहुवर्षीय उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, सब्जी के नए प्रभेदों को प्रोत्साहन देना, ड्रिप इरीगेशन की योजना।	संधारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 2 कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान
21	01-2401007890335 राष्ट्रीय बागबानी मिशन						

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'C' – हरित बजट अनुमान 75 से 50 प्रतिशत (उच्च)							
कृषि विभाग							
22	01-2402001020112 भूमि संरक्षण कार्य	2417.61	2672.00	4716.00	3301.00	सिंचाई हेतु वर्षजल की उपलब्धता में वृद्धि, मिट्टी के कटाव को रोकने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, मिट्टी की नमी व्यवस्था में वृद्धि, जल संचयन को बढ़ावा देना, भूजल रिचार्ज करना, फसल उत्पादन में वृद्धि तथा आजीविका को बढ़ावा देकर प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्स्थापित एवं विकसित करना।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अधिसंरचना एस डी जी 6 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
23	01-2402007890101 भूमि संरक्षण कार्य	452.45	515.00	1200.00	840.00		
24	01-2402007960108 भूमि संरक्षण कार्य	32.65	32.00	84.00	59.00		
25	01-2402001020213 एकीकृत जल संस्तर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यूएम0पी0)	952.94	6513.00	6227.49	4359.00	पक्का चेक डेम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जिर्णोद्धार, मेड़बन्दी, स्टैबुगार्ड ट्रेच एवं पौधा रोपण आदि।	
26	01-2402007890202 एकीकृत जल संस्तर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यूएम0पी0)	199.96	1256.00	1584.60	1109.00		
27	01-2402007960209 एकीकृत जल संस्तर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यूएम0पी0)	53.00	78.00	110.91	78.00		
28	01-2402007890302 एकीकृत जल संस्तर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यूएम0पी0)	133.31		498.34	374.00		
29	01-2402007960309 एकीकृत जल संस्तर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यूएम0पी0)			34.88	26.00		
30	01-2401001190324 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	398.40	663.00	1964.69	982.35		संधारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 2 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
31	01-2401007890335 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	76.80	128.00	499.92	250.00		
32	01-2401007960357 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	4.80	8.00	34.99	17.50	उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, एक वर्षीय एवं बहु वर्षीय, ड्रॉप सिंचाई	
33	01-2401001190224 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	597.60	2241.00	4716.00	2358.00		
34	01-2401007890235 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	1115.20	432.00	1200.00	600.00		
35	01-2401007960257 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	7.20	27.00	84.00	42.00		
योगफल		15004.86	29774.00	72580.25	51358.10		

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्राप्तिगता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'C' – हरित बजट अनुमान 75 से 50 प्रतिशत (उच्च)							
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग							
1	02-2405001010104 तालाब मत्स्यपालन का विकास एवं जीर्णोद्धार	2158.79	5775.12	7448.28	5586.20	सात निश्चय-2 के अन्तर्गत योजना का उद्देश्य है मु-जल स्तर में वृद्धि, जल संरक्षण, जल संसाधनों का परम्परागत उपयोग, पारिस्थितिकी संतुलन एवं अनुपयोगी जमीन का उपयोग संगठित मत्स्य पालन हेतु करना है।	हरित अभिसरचना एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 14 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संचारणीय भूमि उपयोग
2	02-2405001010117 मत्स्य सम्पदा	147.48	4668.75	7494.50	5620.88		एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 14 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
3	02-2405007890102 मत्स्य सम्पदा		900.00	2000.00	1500.00		हरित अभिव्यवस्था एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 14 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
4	02-2405007960110 मत्स्य सम्पदा		56.25	505.50	379.13		
5	02-2405007890101 मुख्यमंत्री तालाब सांख्यिकी विकास मछुआरों की सहायता			2737.00	2052.75		
6	02-2405007960109 मुख्यमंत्री तालाब सांख्यिकी विकास मछुआरों की सहायता			691.73	518.80		
योगफल		2306.27	11400.12	20877.01	15657.75		
शिक्षा विभाग							
1	21-4202012010106 जल-जीवन-हरियाली		7.50	100.00	75.00	राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय अन्तर्गत चिन्हित विद्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण 80,000 / मात्र प्रति विद्यालय की दर से निर्माण किया गया है। साथ ही साथ जल संचयन एवं अन्य हेतु निर्माण कार्य की योजना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
2	21-4202012020115 जल-जीवन-हरियाली	158.40	1560.75	300.00	225.00	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अन्तर्गत चिन्हित विद्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण 80,000 / मात्र प्रति विद्यालय की दर से निर्माण किया गया है। साथ ही साथ जल संचयन एवं अन्य हेतु निर्माण कार्य की योजना है।	
योगफल		158.40	1568.25	400.00	300.00		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'C' – हरित बजट अनुमान 75 से 50 प्रतिशत (उच्च)							
परिवहन विभाग							
1	47-30550019000102 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1141.50	2000.00	7000.00	4000.00	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नये सी0एन0जी0 बसों के क्रय हेतु अनुदान	हरित अधिसंरचना वायु एवं जल प्रदूषण उन्मूलन एस डी जी 11 एस डी जी 13 अनुदान निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
योगफल		1141.50	2000.00	7000.00	4000.00		
75 से 50 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान		247374.48	207242.37	484057.26	358715.85		
श्रेणी 'D' – हरित बजट अनुमान 50 से 25 प्रतिशत (मध्यम)							
नगर विकास एवं आवास विभाग							
1	48-2215021910102 नाला निर्माण, सीवरेंज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	3320.04	118.50	200.00	60.00	इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में नाला, सिवरेंज एवं अन्य सैनिटेशन कार्य किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को स्वच्छत एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है।	अपशिष्ट प्रबंधन वायु एवं जल प्रदूषण उन्मूलन एस डी जी 6 एस डी जी 11 कार्यक्रम कार्यान्वयन
2	48-2215021920102 नाला निर्माण, सीवरेंज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	469.14	150.00	200.00	60.00		
3	48-2215021930102 नाला निर्माण, सीवरेंज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	483.37	150.00	200.00	60.00		
4	48-2215027890101 नाला निर्माण, सीवरेंज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	1168.50	7831.50	18500.00	5550.00		
5	48-2215021070101 स्ट्रीट वाटर ड्रेनेज सिस्टम		840.00	9591.96	2877.59	सात निश्चय-2 के अंतर्गत नगर निकायों में जल-जमाव समस्या के निदान हेतु ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जायेगा, जिससे जल निकासी हो सके तथा स्वच्छता बरकरार रह सके यह योजना पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।	हरित अधिसंरचना एस डी जी 6 एस डी जी 11 कार्यक्रम कार्यान्वयन
6	48-2215027890103 स्ट्रीट वाटर ड्रेनेज सिस्टम		30.00	15883.03	4764.91		
7	48-2215027960105 स्ट्रीट वाटर ड्रेनेज सिस्टम		30.00	2125.01	637.50		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रारंभिकता
		हस्ति बजट वास्तविकी	हस्ति बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हस्ति बजट अनुमान		
श्रेणी 'D' – हस्ति बजट अनुमान 50 से 25 प्रतिशत (मध्यम)							
नगर विकास एवं आवास विभाग							
8	48-2217011910109 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान	1666.13	1800.00	3000.00	900.00	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अन्तर्गत नगर निकायों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट का अगल-अलग वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जायेगा, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करेगा।	अपशिष्ट प्रबंधन वायु एवं जल प्रदूषण उन्मूलन एस डी जी 6 एस डी जी 11 कार्यक्रम कार्यान्वयन
9	48-2217011910116 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान	150.38	450.00	1000.00	300.00		
10	48-2217031920105 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान	158.80	375.00	1000.00	300.00		
11	48-2217031930104 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान	254.42	375.00	1000.00	300.00		
12	48-50756019000101 पटना मेट्रो रेल	52879.25	47950.00	10000.00	5000.00	पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन के उपरंत सार्वजनिक वाहनों के परिचालन में कमी आयेगी तथा ट्रेफिक लोड कम होगा जिसके कारण वायु प्रदुषण एवं ध्वनि प्रदुषण में कमी आयेगी।	जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन हस्ति अधिसरचना एस डी जी 9 एस डी जी 11 एस डी जी 15 निवेश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
13	48-2217010510102 मोक्ष धाम का निर्माण		1520.00	0.01	0.004	सात निश्चय-2 के अन्तर्गत शवदाह हेतु विद्युत/परम्परागत शवदाह गृह का निर्माण किया जाना है, जिससे शवों को वैज्ञानिक तरीके से दाह संस्कार किया जायेगा। इससे पर्यावरण प्रदुषण को कम करने में मदद मिलेगी।	अपशिष्ट प्रबंधन वायु एवं जल प्रदूषण उन्मूलन एस डी जी 11 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
14	48-2217030510102 मोक्ष धाम का निर्माण		2880.00	11999.99	4800.00		
योगफल		60550.03	64500.00	74700.00	25610.00		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'D' – हरित बजट अनुमान 50 से 25 प्रतिशत (मध्यम)							
ग्रामीण कार्य विभाग							
1	37-4515001030316 प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना	2499.92	1815.95			सड़क किनारे वृक्षारोपण, प्लास्टिड का कचड़ा और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सड़क निर्माण	हरित अभिसंरचना एस डी जी 12 एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
योगफल				2499.92	1815.95	0.00	0.00
कृषि विभाग							
1	01-2401001040106 कृषि में नवीनता को प्रोत्साहन	4109.00	2801.00	8724.60	3926.00	तालाब का निर्माण/ मेड़ पर वाणिज्यी/ उद्यानिकी फसलों को लगाना/ कृषि संबंधी फसलें।	संधारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	01-2401007890147 कृषि में नवीनता को प्रोत्साहन	792.00	540.00	2220.00	999.00		
3	01-2401007960169 कृषि में नवीनता को प्रोत्साहन	50.00	34.00	155.40	70.00		
4	01-2401001190101 उद्यान विकास योजना	6225.00	6450.00	22024.52	11012.00	उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, एक वर्षीय एवं बहु वर्षीय, नये सब्जी बीजों को प्रोत्साहन देना, सुगंधित पौधों का क्षेत्र विकास-मेथ्वा एवं लेमनग्रास, सहजन का बीज वितरण, मखाना का चौर में क्षेत्र विस्तार, रूफ टॉप गार्डन।	संधारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 2 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन
5	01-2401007890130 उद्यान विकास योजना	1200.00	1243.00	5607.89	2804.00		
6	01-2401007960152 उद्यान विकास योजना	75.00	78.00	392.64	196.00		
7	01-2401001020201 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1165.75	2457.00	5973.60	2987.00	खाद्यान्न फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाना, फसलों के क्षेत्रफल का विस्तार, किसानों की आर्थिक दशा को सुदृढ़ करना।	संधारणीय भूमि उपयोग हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 2 एस डी जी 15 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
8	01-2401007890237 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	273.74	474.00	1520.00	760.00		
9	01-2401007960259 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	13.78	30.00	106.40	53.00		
10	01-2401001020301 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	735.66	967.00	3537.00	1769.00		
11	01-2401007890323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	152.49	186.00	900.00	450.00		
12	01-2401007960359 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	9.19	12.00	63.00	32.00		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः0 अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'D' – हरित बजट अनुमान 50 से 25 प्रतिशत (मध्यम)							
कृषि विभाग							
13	01-2401001030218 बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन		445.00			बीज ग्राम योजनान्तर्गत बीज का उत्पादन। तेलहनी फसलों का उत्पादन को बढ़ावा देना।	जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एस डी जी 2 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
14	01-2401007960271 बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन		5.00				
15	01-2401007890349 बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन		34.00				
16	01-2401007960356 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन						
17	01-2401001090218 प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना		1703.00			भूमि एवं जल संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के संघरणन का निर्माण, पौधा रोपण, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह का गठन, भूमिहिन किसानों के लिए कार्यक्रम एवं उत्पादन प्रणाली आदि स्पीकलर /टपकन सिंचाई की योजना।	संधारणीय भूमि उपयोग हरित अभिसरवना हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
18	01-2401007960261 प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना		21.00				
19	01-2401001090318 प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना		786.00				
योगफल		14801.61	18266.00	51225.05	25058.00		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान			
श्रेणी 'D' – हरित बजट अनुमान 50 से 25 प्रतिशत (मध्यम)								
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग								
1	02-2405001010219 नीली क्रांति-समेकित विकास एवं मत्स्य पालन का प्रबंधन	464.43	7480.71	3971.33	1191.40	योजना का उद्देश्य है मु-जल स्तर में वृद्धि, जल संरक्षण, जल संसाधनों का परम्परागत उपयोग, पारिस्थितिकी संतुलन एवं अनुपयोगी जमीन का उपयोग संगठित मत्स्य पालन हेतु करना है।	हरित अधिसंरचना एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास	
2	02-2405001010319 नीली क्रांति-समेकित विकास एवं मत्स्य पालन का प्रबंधन		697.18				प्रकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अधिसंरचना एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास	
3	02-2405007890201 रियेरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट एवं नया तालाब निर्माण।		1442.05	1060.00	318.00			
4	02-2405007960201 रियेरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट एवं नया तालाब निर्माण।		90.14	268.67	80.60			
5	02-2405007890301 रियेरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट एवं नया तालाब निर्माण।		134.40	400.00	120.00			
6	02-2405007960301 रियेरिंग तालाब निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, इनपुट एवं नया तालाब निर्माण।		8.41	101.10	30.33			
7	02-2405001010319 नीली क्रांति-समेकित विकास एवं मत्स्य पालन का प्रबंधन	310.86		1498.90	449.67			
योगफल		775.29	9852.89	7300.00	2190.00			

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'D' – हरित बजट अनुमान 50 से 25 प्रतिशत (मध्यम)							
उद्योग विभाग							
1	23-2851001070101 रेशम विकास योजना			400.00	175.00	क्षेत्रीय कीटपालकों द्वारा तसर एवं अंडी के पोषो का वृक्षारोपण करते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना एवं स्वरोजगार सृजित करना।	हरित अर्थव्यवस्था संघारणीय भूमि उपयोग एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
	योगफल	0.00	0.00	400.00	175.00		
50 से 25 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान		78626.85	94434.84	133625.05	53033.00		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 25 से 5 प्रतिशत (निम्न)							
नगर विकास एवं आवास विभाग							
1	48-2217011910115 परिवहन के शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	232.50	50.00			मध्यमंश्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अन्तर्गत 10 फीट से कम चौड़ाई वाली गलियों का निर्माण पेवर ब्लॉक से कराया जाता है। जो जल संभरण(रिचार्ज) के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है।	संघारणीय भूमि उपयोग हरित अधिसंरचना एस डी जी 6 एस डी जी 11 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	48-2217031930103 परिवहन के शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	882.01	7.00				
3	48-2217017890102 परिवहन के शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	53.26	100.00	1499.98	149.99		
4	48-2217037890102 परिवहन के शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	426.13	450.00	4500.00	450.00		
5	48-2217037960101 परिवहन के शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान			999.98	99.998		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 25 से 5 प्रतिशत (निम्न)							
नगर विकास एवं आवास विभाग							
6	48-2217030510202 अमृत (AMRUT)	4.05	4800.00	52400.00	5240.00	इस योजना के अन्तर्गत पार्क निर्माण, जलापूर्ति, स्टैम वाटर ड्रेनेज और FSSM योजना का क्रियान्वयन होता है। इसके तहत हरित स्थल/वृक्षारोपण/वर्षा जल संरक्षण/स्टैम वाटर ड्रेनेज का कार्य किया जाता है। जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत भूजल संचयन और संभरण गड्ढा (रिचार्ज पिट) भी बनाया जा रहा है। FSSM योजना के अन्तर्गत शौचालयों के मलजल का प्रबंधन किया जाएगा।	हरित अधिसंरचना अपशिष्ट प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एस डी जी 6 एस डी जी 11 एस डी जी 12 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
7	48-2217030510302 अमृत (AMRUT)	2895.87	560.00	7999.97	799.997		
8	48-2217800010501 बिहार नगर विकास परियोजना		200.00			इस योजना के अन्तर्गत सिवरेज निर्माण आदि का कार्य कराया जाता है, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करता है।	अपशिष्ट प्रबंधन वायु एवं जल प्रदूषण उन्मूलन एस डी जी 6 एस डी जी 11 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
9	48-2217030510204 स्मार्ट सिटी मिशन	1360.00	2100.00	18000.00	900.00		जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन हरित अधिसंरचना
10	48-2217030510304 स्मार्ट सिटी मिशन	1000.00	1000.00	10000.00	500.00	इस योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान है जो पर्यावरण हित में है।	एस डी जी 7 एस डी जी 11 एस डी जी 13 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
11	48-3475007890202 स्वर्ण जयंती शहरोंमुखी योजना (NULM)		206.25				कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
12	48-3475007890302 स्वर्ण जयंती शहरोंमुखी योजना (NULM)		69.10				जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन हरित अध्यवस्था
13	48-3475007890202 स्वर्ण जयंती शहरोंमुखी योजना (NULM)		160.00				एस डी जी 11 एस डी जी 13 एस डी जी 15
14	48-3475007890302 स्वर्ण जयंती शहरोंमुखी योजना (NULM)	18.37	23.40			इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण हित में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।	शिक्षा एवं जागरूकता
15	48-3475007960202 स्वर्ण जयंती शहरोंमुखी योजना (NULM)	1.97	8.75	175.00	8.75		
16	48-3475007960302 स्वर्ण जयंती शहरोंमुखी योजना (NULM)	7.50	7.50				

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रारंभिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 25 से 5 प्रतिशत (निम्न)							
नगर विकास एवं आवास विभाग							
17	48-2217010510201 स्मार्ट सिटी मिशन			18000.00	900.00	इस योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान है जो पर्यावरण हित में है।	जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन हरित अधिसंरचना एस डी जी 7 एस डी जी 11 एस डी जी 13 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
18	48-2217010510301 स्मार्ट सिटी मिशन			10000.00	500.00		
19	48-2217030510206 स्मार्ट सिटी मिशन			18000.00	900.00		
20	48-2217030510306 स्मार्ट सिटी मिशन			10000.00	500.00		
21	48-2217030510207 स्मार्ट सिटी मिशन			18000.00	900.00		
22	48-2217030510307 स्मार्ट सिटी मिशन			10000.00	500.00		
योगफल				6881.66	9742.00	179574.93	12348.74
ग्रामीण कार्य विभाग							
1	37-4515007890201 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय					अपशिष्ट प्लास्टिक सामग्री और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली सड़क।	हरित अधिसंरचना एस डी जी 12 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
2	37-4515001030316 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना			40000.00	8685.97	सड़क किनारे वृक्षारोपण, प्लास्टिक का कचड़ा और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सड़क निर्माण।	हरित अधिसंरचना एस डी जी 12 एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
योगफल				0.00	0.00	40000.00	8685.97

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रारंभिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 25 से 5 प्रतिशत (निम्न)							
कृषि विभाग							
1	01-2401001030109 बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	2324.00	2857.00	10218.00	2554.50	फाउंडेशन / प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम	जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एस डी जी 2 कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
2	01-2401007890117 बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	448.00	551.00	2600.00	520.00		
3	01-2401007960140 बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	28.00	34.00	182.00	36.40		
4	01-2401001030218 बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन	623.00	445.00	880.32	220.00		
5	01-2401007890249 बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन	120.00	86.00	224.00	56.00	बीज ग्राम योजनान्तर्गत बीज का उत्पादन।	जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एस डी जी 2 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
6	01-2401007960271 बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन	8.00	5.00	15.68	4.00		
7	01-2401001030318 बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन	269.00	152.00	419.04	105.00		
8	01-2401007890349 बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन	52.00	2.00	106.62	26.66		
9	01-2401007960371 बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन	3.00	2.00	7.46	1.87		
10	01-2401001080220 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	114.00	100.00	817.44	163.00	तेलहनी फसलों का उत्पादन को बढ़ावा देना।	जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एस डी जी 2 कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
11	01-2401007890234 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	22.00	19.00	208.00	42.00		
12	01-2401007960256 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	1.00	1.00	14.56	3.00		
13	01-2401001080320 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	49.00	52.00	447.29	89.00		
14	01-2401007890334 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	10.00	10.00	113.81	23.00		
15	01-2401007960356 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	1.00	1.00	7.97	2.00		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान			
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 25 से 5 प्रतिशत (निम्न)								
कृषि विभाग								
16	01-2401001090218 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1577.00	1703.00				संधारणीय भूमि उपयोग हरित अधिसंरचना हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना	
17	01-2401007890239 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	304.00	328.00					
18	01-2401007960261 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	19.00	21.00					
19	01-2401001090318 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	682.00	786.00					
20	01-2401007890339 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	131.00	152.00					
21	01-2401007960361 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	8.00	9.00					
योगफल		6793.00	7316.00	16262.19	3846.42			
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग								
1	02-2404007960101 प्रशिक्षण और विस्तार						राज्य के सभी जिलों मे 02 दुधारू मवेशी की 83 डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को सिवसडी पदान किया जाना है तथा अनुसूचित जनजाति के 285 पुरूष सदस्यों को डी0पन0एस0 पटना मे पशु पक्कन एवं पोषण से सम्भबंधित प्रशिक्षण पदान किया जाना है ।	संधारणीय भूमि उपयोग हरित अधिसंरचना हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 2 एस डी जी 15 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
2	02-2404007960102 आधुनिक तकनीकों द्वारा दूध उत्पादन और संस्कार परियोजना – साल निश्चय परियोजना						कमफेड द्वारा राज्य के विभिन्न दुध संघो मे आधुनिक दुध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना, विपणन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 05 कोलड स्टोरेज का निर्माण, सुधा बोटलबंद पानी उत्पादन के लिए एक संयंत्र तथा ब्रेकेड फायरड वर्गलर की स्थापना किया जाना है।	संधारणीय भूमि उपयोग हरित अधिसंरचना हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 2 एस डी जी 9 एस डी जी 15 प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
योगफल		0.00	0.00	0.00	0.00			

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 25 से 5 प्रतिशत (निम्न)							
भवन निर्माण विभाग							
1	03-4059010510101 भवन	685.65	1134.00	17950.00	1253.00	Fly Ash Brick का प्रयोग कर मृदा संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है।	हरित अधिसंरचना जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एस डी जी 6 एस डी जी 7 एस डी जी 11 एस डी जी 12 एस डी जी 13 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	03-4216017000101 अन्य आवास	2212.91	3080.00	43000.00	3010.00		
3	03-4059800510110 न्यायिक भवन						
4	03-4216017000102 न्यायिक आवासीय भवन						
योगफल		2898.56	4214.00	60950.00	4263.00		
जल संसाधन विभाग							
1	49-2705000010204 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना		100.00	500.00	100.00	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्वीकृत सिंचाई योजनाओं (दुर्गावली जलाशय योजना एवं पुनपुन बराज योजना) का कार्यान्वयन।	संघारणीय भूमि उपयोग हरित अधिसंरचना हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 2 एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	49-2705000010304 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना		683.00	2822.00	564.40		
3	49-4700800510207 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	631.39	812.60	6582.00	1316.40		
4	49-4700800510309 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	259.79	1333.80	3405.00	681.00		
5	49-4700800050101 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	120.00	100.00	700.00	140.00	इस विपन्न कोड के अन्तर्गत कोसी-मेची लिंक परियोजना के PPR के (Preliminary Project Report) तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।	हरित अधिसंरचना हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 2 एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
6	49-4700800510102 नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना	11.96	100.00	300.00	60.00	इस विपन्न कोड के अन्तर्गत कोसी-मेची लिंक परियोजना के DPR (Detailed Project Report) तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 25 से 5 प्रतिशत (निम्न)							
जल संसाधन विभाग							
7	49-4700800510104 सिंचाई सृजन परियोजनाएं(कार्य) नबार्ड ऋण की योजनाएं	148570.12	18600.00	8000.00	2000.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा का सृजन/पुनर्स्थापन एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है जो स्वभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करेगा।	हरित अधिसंरचना प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एस डी जी 2 एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्राथमिकी एवं अवसंरचना
8	49-4700800510105 सिंचाई सृजन परियोजनाएं (कार्य)	14602.86	11586.25	72957.00	18239.25		
9	49-4700807890102 सिंचाई सृजन परियोजनाएं (कार्य)	6315.89	6705.50	38994.00	9748.50		
10	49-4700800510310 उत्तर कोयल जलाशय परियोजना		300.00	6791.00	1358.20	यह योजना बिहार-झारखण्ड की संयुक्त परियोजना है। इस योजना में उत्तर कोयल नदी पर झारखण्ड राज्य में कुटकु ग्राम के पास डैम का निर्माण तथा 96 कि०मी० नीचे मुहम्मदगंज के निकट पिक-अप बराज का निर्माण एवं इससे निःसृत दायों एवं बायों नहर प्रणाली के निर्माण का प्रबंधन है। इस योजना से बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना है।	
11	49-4711010510110 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य)	3768.02	840.00	10850.00	1085.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य बाढ़ एवं कटाव से बचाव करना है जो पर्यावरण संरक्षण में स्वभाविक रूप से लाभकारी होगा।	हरित अधिसंरचना प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एस डी जी 2 एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्राथमिकी एवं अवसंरचना
12	49-4711017890104 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य)	2108.32	2330.00	23329.00	2332.90		
13	49-4711017960101 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य)	253.30	313.30	3821.00	382.10		
14	49-4711010510111 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य) नबार्ड ऋण की योजनाएं	260.70	600.00	2000.00	200.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य नहरों के बांध एवं तटबंधों पर सड़क निर्माण करना है, जो पर्यावरण संरक्षण के सभी कार्यक्रमों के संचालन में सहायक होगा।	
15	49-4711010510209 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	4552.82	7280.00	80080.00	8008.00	व्यय का मुख्य उद्देश्य बाढ़ एवं कटाव से बचाव करना है जो पर्यावरण संरक्षण में स्वभाविक रूप से लाभकारी होगा।	हरित अधिसंरचना प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एस डी जी 2 एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्राथमिकी एवं अवसंरचना
16	49-4711010510309 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम		1841.60	21982.00	2198.20		
17	49-4711010510212 सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य	1380.12	1650.00	18150.00	1815.00	इस विपन्न कोड के अन्तर्गत नेपाल भाग में कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।	
18	49-4700807890103 हर खेत तक सिंचाई का पानी		400.00	4000.00	1000.00	सात निश्चय-2 के अन्तर्गत व्यय का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा का सृजन/पुनर्स्थापन करना है, जो स्वभाविक रूप से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करेगा।	
19	49-4700807960101 हर खेत तक सिंचाई का पानी		25.00	500.00	125.00		हरित अधिसंरचना प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एस डी जी 2 एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्राथमिकी एवं अवसंरचना
20	49-4700800510106 हर खेत तक सिंचाई का पानी		2075.00	15500.00	3875.00		
योगफल		182835.29	57676.05	321263.00	55228.95		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रारंभिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'E' – हरित बजट अनुमान 25 से 5 प्रतिशत (निम्न)							
सूचना एवं जन-संपर्क विभाग							
1	24-2220601060101 क्षेत्रीय प्रचार योजना		411.00			जल-जीवन हरियाली अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार ।	जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एस डी जी 6 एस डी जी 13 एस डी जी 15 शिक्षा एवं जागरूकता
योगफल		0.00	411.00	0.00	0.00		
परिवहन विभाग							
1	47-3055001990101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना	508.07	225.00	900.00	45.00	वित्तीय वर्ष 2023-34 में संभावित मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की प्रत्याशा में अन्य वाहनों के अलावे इ-रिक्शा खरीद पर भी अनुदान ।	जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एस डी जी 13 एस डी जी 15 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	47-3055007890101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना		275.00	2000.00	100.00		
3	47-3055007960101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना		25.00	200.00	10.00		
योगफल		508.07	525.00	3100.00	155.00		
पर्यटन विभाग							
1	46-5452011010104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास			24500.00	2699.40	तालाब में जल आपूर्ति एवं संरक्षण प्रदान किया जाना। बैशाली जिलान्तर्गत विश्व शांति स्तूप के समीप अभिषेक पुष्करणी सरोवर में जलापूर्ति । राजगीर रज्जु मार्ग एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों का पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना। नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर रज्जु मार्ग एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण। राजगीर के घोड़ा-कटोरा में पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना। नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर के घोड़ा-कटोरा में पर्यटकीय संरचनाओं का विकास। गया जिलान्तर्गत गुल्मी पर्वत पर पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना। गया जिलान्तर्गत गुल्मी पर्वत पर पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	संघारणीय भूमि उपयोग हरित अधिसंरचना हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 6 एस डी जी 12 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
योगफल		0.00	0.00	24500.00	2699.40		
25 से 5 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान		199916.58	79884.05	645650.12	87227.48		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत या इससे कम (सीमांत)							
नगर विकास एवं आवास विभाग							
1	48-3475001080202 स्वर्ण जयंती शहरोन्मुखी योजना (NULM)			4125.00	206.25	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण हित में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।	जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 11 एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
2	48-3475001080302 स्वर्ण जयंती शहरोन्मुखी योजना (NULM)			0.01			
3	48-3475007890202 स्वर्ण जयंती शहरोन्मुखी योजना (NULM)			3200.00	160.00		
4	48-3475007890302 स्वर्ण जयंती शहरोन्मुखी योजना (NULM)	18.37		0.01			
5	48-3475007960202 स्वर्ण जयंती शहरोन्मुखी योजना (NULM)	1.97		175.00	8.75		
6	48-3475007960302 स्वर्ण जयंती शहरोन्मुखी योजना (NULM)	7.50		0.01			
योगफल		27.84	0.00	7500.03	375.00		
ग्रामीण विकास विभाग							
1	42-2215027890204 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)		800.00			स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 'स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव' का संकल्प लिया गया है। इस के तहत 'खुले में शौच से मुक्ति' (ओडीएफ) का स्थायित्व बनाये रखते हुये चरणबद्ध तरीके से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा राज्य के सभी ग्राम प्रवायतों को "ओडीएफ-प्लस" बनाया जाना लक्षित है।	अपशिष्ट प्रबंधन वायु एवं जल प्रदूषण उन्मूलन एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता
2	42-2215027890304 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)		150.00				
3	42-2215027960206 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)		40.00				
4	42-2215027960306 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)		7.50				

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रारंभिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत या इससे कम (सीमांत)							
ग्रामीण विकास विभाग							
5	42-2501061010202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल. एम.)	3031.31	3286.50	59219.00	2960.95	इस योजना अन्तर्गत महिलाओं के विकास, सशक्तीकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। इसके अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं के संस्थागत संगठनों का निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, लेखा प्रबंधन एवं अन्य बिन्दुओं पर उनके सम्प्रेषण के लिए निरंतर कार्य जीविका द्वारा किया जा रहा है। जीविका ने समुदाय आधारित संगठन के विकास के साथ-साथ भिन्न कार्य में सहयोग देने हेतु समुदाय के बीच से भी सामुदायिक पेशवरों का चयन कर उनका क्षमतावर्धन किया गया। ये सामुदायिक पेशवर सामुदायिक संगठन के देख-रेख एवं अनुश्रवण में जीविका मित्र, लेखापाल, सामुदायिक संसाधन सेवी, ग्राम संसाधन सेवी, बैंक मित्र, पशु सखी, रोजगार संसाधन सेवी के रूप में कार्य करते हैं जिसको जीविका द्वारा समय-समय पर तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 5 एस डी जी 8 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
6	42-2501061010302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल. एम.)	2010.14	541.80	14655.00	732.75		
7	42-2501067890202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल. एम.)	2543.11	2660.50	60846.00	3042.30		
8	42-2501067890302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल. एम.)	1689.18	438.60	15057.00	752.85		
9	42-2501067960202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल. एम.)	1768.28	1878.00	27835.00	1391.75		
10	42-2501067960302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल. एम.)	1174.34	309.60	6888.00	344.40	इस योजना अन्तर्गत महिलाओं के विकास, सशक्तीकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। इसके अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं के संस्थागत संगठनों का निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, लेखा प्रबंधन एवं अन्य बिन्दुओं पर उनके सम्प्रेषण के लिए निरंतर कार्य जीविका द्वारा किया जा रहा है। जीविका ने समुदाय आधारित संगठन के विकास के साथ-साथ भिन्न कार्य में सहयोग देने हेतु समुदाय के बीच से भी सामुदायिक पेशवरों का चयन कर उनका क्षमतावर्धन किया गया। ये सामुदायिक पेशवर सामुदायिक संगठन के देख-रेख एवं अनुश्रवण में जीविका मित्र, लेखापाल, सामुदायिक संसाधन सेवी, ग्राम संसाधन सेवी, बैंक मित्र, पशु सखी, रोजगार संसाधन सेवी के रूप में कार्य करते हैं जिसको जीविका द्वारा समय-समय पर तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 8 कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
11	42-2501061010204 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर. एल.एम.)		252.00				
12	42-2501061010304 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर. एल.एम.)		31.50				
13	42-2501061010205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर. एल.एम.)		12.60	1000.00	50.00		
14	42-2501061010305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर. एल.एम.)		2.10	400.00	20.00		
15	42-2501061010206 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर. एल.एम.)		2.10	4620.00	231.00	इस योजना अन्तर्गत महिलाओं के विकास, सशक्तीकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। इसके अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं के संस्थागत संगठनों का निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, लेखा प्रबंधन एवं अन्य बिन्दुओं पर उनके सम्प्रेषण के लिए निरंतर कार्य जीविका द्वारा किया जा रहा है। जीविका ने समुदाय आधारित संगठन के विकास के साथ-साथ भिन्न कार्य में सहयोग देने हेतु समुदाय के बीच से भी सामुदायिक पेशवरों का चयन कर उनका क्षमतावर्धन किया गया। ये सामुदायिक पेशवर सामुदायिक संगठन के देख-रेख एवं अनुश्रवण में जीविका मित्र, लेखापाल, सामुदायिक संसाधन सेवी, ग्राम संसाधन सेवी, बैंक मित्र, पशु सखी, रोजगार संसाधन सेवी के रूप में कार्य करते हैं जिसको जीविका द्वारा समय-समय पर तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है।	हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 8 कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
16	42-2501061010306 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर. एल.एम.)		2.10	660.00	33.00		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22 हरित बजट वास्तविकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 हरित बजट पुनः अनुमान	वित्तीय वर्ष 2023-24 बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2023-24 हरित बजट अनुमान	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
श्रेणी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत या इससे कम (सीमांत)							
ग्रामीण विकास विभाग							
17	42-2501067890203 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)		204.00				
18	42-2501067890303 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)		25.50				
19	42-2501067890204 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)		10.20				
20	42-2501067890304 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)		1.70				
21	42-2501067890205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)		1.70	2170.00	108.50		
22	42-2501067890305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)		1.70	310.00	15.50		
23	42-2501067960203 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)		144.00				
24	42-2501067960303 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)		18.00				
25	42-2501067960204 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)		7.20				
26	42-2501067960304 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)		1.20				
27	42-2501067960205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)		1.20	210.00	10.50		
28	42-2501067960305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)		1.20	29.00	1.45		
29	42-2501061020201 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)			12500.00	625.00		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः0 अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत या इससे कम (सीमांत)							
ग्रामीण विकास विभाग							
30	42-2501061020202 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)			1500.00	75.00		
31	42-2501061020301 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)			2000.00	100.00		
32	42-2515001020517 बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना	2117.74	1680.00			वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट का प्रावधान नहीं किया गया है।	हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 5 एस डी जी 8 अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
33	42-2515007890510 बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना	877.25	696.00				
34	42-2515007960517 बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना	30.25	24.00				
योगफल		15241.60	13232.50	209899.00	10494.95		
ग्रामीण कार्य विभाग							
1	37-3054041050001 सड़क और पुल	3436.00	8964.00	350000.00	14400.00	सड़क किनारे वृक्षारोपण	हरित अधिसंरचना एस डी जी 12 एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना
2	37-4515001030113 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	586.65	137.00	44198.00	202.04		
3	37-4515007960109 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	106.81	36.34	10000.00	45.71		
4	37-4515007890104 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	1759.58	160.21	100000.00	457.14		
5	37-4515001030216 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	17371.00	2643.87	321029.00	8713.47		
योगफल		23260.04	11941.42	825227.00	23818.36		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रारंभिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान			
श्रेणी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत या इससे कम (सीमांत)								
पशु एवं मत्स्य संसाधन								
1	02-2404001020115 गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएं						सात निश्चय योजना के तहत आधुनिक तकनीकों के द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 2 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास
2	02-2404007890101 ग्रामीण डेयरी रोजगार योजना							
3	02-2404001020116 आधुनिक तकनीकों द्वारा दूध उत्पादन और प्रसंस्करण परियोजना							
4	02-2404007890103 आधुनिक तकनीकों द्वारा दूध उत्पादन और प्रसंस्करण परियोजना							
5	02-2405001090102 मत्स्य प्रसार	40.93	81.00	1397.42		69.87	मत्स्य कृषकों में जागरूकता।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था एस डी जी 14 शिक्षा एवं जागरूकता
योगफल		40.93	81.00	1397.42		69.87		
पथ निर्माण विभाग								
1	41-5054033370508 सड़क	101.47	170.14	162300.00		3993.38	विषयांकित सभी परियोजनाओं में अनिवार्य वन रोपण, जैव विविधता के संक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन का प्रावधान है।	जैवविविधता एवं पारिस्थितिकी एस डी जी 13 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरचना
2	41-5054033370102 बृहद पथ	194.26	150.26	35000.00		133.71		
3	41-5054037890101 बृहद पथ			10000.00				
4	41-5054031010103 नाबार्ड			120000.00		672.15		
योगफल		295.73	320.40	327300.00		4799.24		

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2023-24		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्राप्ति/प्रगति
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान				
श्रेणी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत या इससे कम (सीमांत)									
पर्यटन विभाग									
1	46-5452011010104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	207.42	1356.50					तालाब में जल आपूर्ति एवं संरक्षण प्रदान किया जाना। वैशाली जिलान्तर्गत विष्व शक्ति स्तूप के समीप अभिवेक पुष्करणी सरोवर में जलापूर्ति। राजगीर रज्जु मार्ग एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों का पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना। नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर रज्जु मार्ग एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण। राजगीर के घोड़ा-कटोरा में पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना। नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर के घोड़ा-कटोरा में पर्यटकीय संरचनाओं का विकास। गया जिलान्तर्गत गुरा पर्वत पर पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना। गया जिलान्तर्गत गुरा पर्वत पर पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	संसारणीय भूमि उपयोग हरित अधिसंरचना एस डी जी 6 एस डी जी 12 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरवर्धन
	योगफल	207.42	1356.50	0.00	0.00	0.00			
शिक्षा विभाग									
1	21-2202010010105 शैक्षिक कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षिक आयोजन एवं महोत्सव	8.00	15.00	1000.00	15.00	15.00	15.00	प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में विद्यार्थियों के वृक्षारोपण के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने हेतु कार्यशाला एवं विभिन्न सेमिनार का प्रावधान है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एस डी जी 4 एस डी जी 13 कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन
2	21-2202011090103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण		0.50	2000.00		100.00		प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को इस योजना के तहत बिहार के प्रमुख जैविक उद्यानों एवं पर्यटन स्थल का भ्रमण कराया जाता है जिससे विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर पर्यावरण को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने के लिए कृत संकल्पित होते हैं।	
3	21-2202010010107 बिहार बाल भवन को अनुदान	25.00	50.00	1500.00		75.00		किलकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्लेट कम्प्यूटर एवं अन्य का सौर ऊर्जा से संचालन अनिवार्यक लाइट की बत्ती न जलाने हेतु प्रोत्साहित करना। लुप्त प्राण प्राणियों पर जैसे ऊलूक, गरिया संरक्षण आदि पर जागृति हेतु पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।	

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रारंभिकता	
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान			
श्रेणी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत या इससे कम (सीमांत)								
शिक्षा विभाग								
4	21-2202021090110 मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना		5.00	1200.00	60.00	माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को इस योजना के तहत बिहार के प्रमुख जैविक उद्यानों एवं पर्यटन स्थल का भ्रमण कराया जाता है जिससे विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर पर्यावरण को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने के लिए कृत संकल्पित होते हैं।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एस डी जी 7 एस डी जी 9 एस डी जी 13 कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन	
5	21-4202012010105 प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण	1.25	250.00	15002.00	250.00	बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा ऐसी भवन के निर्माण का निर्देश है कि घर रोशनदान युक्त हो तथा दिन में बिजली की कम से कम आवश्यकता हो। छत पर सोलर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। दिवाल पर भी पर्यावरण जागरूकता का चित्रण किया जा रहा है।		
6	21-4202012020103 माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	1999.92	1820.00	17401.00	820.00	बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा ऐसी भवन के निर्माण का निर्देश है कि घर रोशनदान युक्त हो तथा दिन में बिजली की कम से कम आवश्यकता हो। छत पर सोलर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। दिवाल पर भी पर्यावरण जागरूकता का चित्रण किया जा रहा है।		
7	21-2202010010002 प्रोत्साहन हेतु सामाजिक उत्सव		1.00	10.00	0.50	प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में विद्यार्थियों के वृक्षारोपण के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने हेतु कार्यशाला एवं विभिन्न सेमिनार का प्रावधान है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एस डी जी 4 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन	
8	21-2202011090004 प्रोत्साहन हेतु विद्यालयों में सामाजिक उत्सव		0.25	5.00	0.25	प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में विद्यार्थियों के वृक्षारोपण के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने हेतु कार्यशाला एवं विभिन्न सेमिनार का प्रावधान है।		
योगफल					2034.17	2141.75	38118.00	1320.75
सूचना एवं जन-संपर्क विभाग								
1	24-2220601060101 क्षेत्रीय प्रचार योजना	399.51		8198.00	410.00	जल-जीवन हरियाली अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार।	जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन एस डी जी 13 एस डी जी 15 शिक्षा एवं जागरूकता	
योगफल		399.51	0.00	8198.00	410.00			

क्र.	विपन्न कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता
		हरित बजट वास्तविकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
श्रेणी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत या इससे कम (सीमांत)							
भवन निर्माण विभाग							
1	03-2059800530001 अनुसूक्षण एवं सरमात	1554.25	1700.00	42500.00	2125.00	भू-जल संरक्षण हेतु वर्षा जल संचयन कार्य	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एस डी जी 9 कार्यक्रम कार्यान्वयन
	योगफल	1554.25	1700.00	42500.00	2125.00		
0 से 5 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट योगदान		43061.48	30773.57	1460139.45	43413.17		
महायोग		676729.16	799649.01	3178873.01	992077.13		



बिहार सरकार

बिहार सरकार वित्त विभाग

Designed & Printed by:
puntrika services pvt. ltd.
Email: puntrika@gmail.com

